



वार्षिक लेखा 2021-22





वार्षिक लेखा

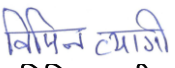
2021-22

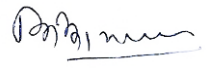
विषय सूची		
क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	तुलन-पत्र	1
2.	आय और व्यय का लेखा	2
3.	प्राप्तियों एवं भुगतान का लेखा	3-4
4.	तुलन-पत्र की अनुसूचियां (अनुसूची 1 से 11)	5-13
5.	आय और व्यय लेखे की अनुसूचियां (अनुसूची 12 से 23)	14-19
6.	प्रमुख लेखा नीतियां (अनुसूची 24)	20-23
7.	आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणियां (अनुसूची 25)	24-30
8.	पूर्वावधि समायोजन लेखा (अनुबंध क)	31
9.	विद्यमान डीयूएस केन्द्रों के पास उपलब्ध राशि का विवरण (अनुबंध ख)	32-39
10.	नए डीयूएस केन्द्रों के पास उपलब्ध राशि का विवरण (अनुबंध ग)	40-45
11.	संदर्भ प्रयोगशालाओं के पास उपलब्ध राशि का विवरण (अनुबंध घ)	46
12.	जीन बैंक तथा फील्ड जीन बैंक के पास उपलब्ध राशि का विवरण (अनुबंध ड.)	47
13.	प्रशिक्षण और जागरूकता के लिए संगठन/केन्द्र को जारी अनुदान (अनुबंध-च)	48-55
14.	बाहरी विभागों को अग्रिम (अनुबंध छ)	56
15.	अदा की गई वैधानिक देयताएं (अनुबंध ज)	57
16.	अन्य प्रेषण (अनुबंध झ)	58
17.	स्टाफ को अग्रिम (अनुबंध ञ)	59
18.	प्रशिक्षण केन्द्रों से अनुदान की वापसी (अनुबंध ट)	60
19.	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं प्रबंधकीय उत्तर	61-68

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण 31 मार्च 2022 को तुलन पत्र

राशि रुपये में

कोष/पूंजी निधि तथा देयताएं	अनुसूची	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
कोष/पूंजी निधि	1	75,20,01,059	62,20,31,584
संचय और अधिशेष	2	-	-
चिन्हित/स्थायी निधि	3	10,57,87,071	46,02,39,372
सुरक्षित ऋण तथा उधारियां	4	-	-
असुरक्षित ऋण तथा उधारियां	5	-	-
आस्थगित ऋण देयताएं	6	-	-
चालू देयताएं और प्रावधान	7	19,59,82,510	18,75,08,026
कुल		1,05,37,70,640	1,26,97,78,982
परिसम्पत्तियां			
अचल परिसम्पत्तियां	8(क)	2,91,23,053	2,97,63,279
घटाएं : संचयित मूल्यह्रास		2,39,48,835	2,39,04,314
निवल स्थायी परिसम्पत्तियां		51,74,218	58,58,965
पूंजीगत चालू कार्य	8(ख)	7,65,350	7,55,600
निवेश – चिन्हित/स्थायी निधियों से	9	-	-
निवेश – अन्य	10	-	-
चालू परिसम्पत्तियां, ऋण और अग्रिम आदि	11	1,04,78,31,072	1,26,31,64,417
विभिन्न व्यय (उस सीमा तक जिसे अपलिखित या समायोजित नहीं किया गया है।)		-	-
कुल		1,05,37,70,640	1,26,97,78,982
प्रमुख लेखा नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणियां	25		


विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार


दिनेश कुमार अग्रवाल,
महापंजीकार


के.वि. प्रभु
अध्यक्ष

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 11 जुलाई, 2022

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

राशि रुपये में

आय	अनुसूची	प्राधिकरण निधि		जीन निधि	
		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
बिक्री/सेवाओं से हुई आय	12	-	-	-	-
अनुदान/अनुवर्ती	13	20,94,69,194	19,92,33,244	4,00,00,000	2,00,00,000
शुल्क/चंदा	14	1,79,25,100	2,45,18,600	2,03,88,259	1,75,15,058
निवेशों से हुई आय	15	-	-	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से हुई आय	16	-	-	-	-
अर्जित ब्याज	17	2,55,02,782	2,61,63,989	1,23,98,132	1,51,31,462
अन्य आय	18	68,07,541	3,54,028	304	1,390
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि (गिरावट) और चालू कार्य	19	-	-	-	-
आस्थगित आय (अचल सम्पत्तियों पर मूल्यह्रास/परिशोधन)		10,19,734	9,38,583	-	-
पूर्व समय समायोजन लेखा (अनुबंध क)		67,01,730	27,00,175	-	4,15,79,083
कुल (क)		26,74,26,081	25,39,08,619	7,27,86,695	9,42,26,993
व्यय					
स्थापना व्यय	20	5,50,55,443	5,08,22,130	-	-
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	1,83,23,300	1,97,00,365	1,09,57,282	25,67,897
अनुदान/अनुवर्ती आदि पर हुआ व्यय	22	12,21,71,369	15,06,45,208	-	-
ब्याज	23	15,05,619	13,73,656	-	-
मूल्यह्रास/परिशोधन मूल्य हानि सहित (अनुसूची 8 से सम्बद्ध वर्ष के अंत में निवल योग)		10,19,734	9,38,583	-	-
पूर्व समय समायोजन लेखा (अनुबंध-क)		4,96,188	5,12,05,914	40,000	81,000
कुल (ख)		19,85,71,653	27,46,85,856	1,09,97,282	26,48,897
आय में से व्यय घटाने के बाद शेष राशि (क-ख)		6,88,54,428	(2,07,77,237)	6,17,89,413	9,15,78,096
विशेष आरक्षित निधि में हस्तांतरण (प्रत्येक को अलग-अलग बताएं)		-	-	-	-
सामान्य आरक्षित निधि को/से हस्तांतरण		-	-	-	-
कोष/पूंजी निधि तक ले जाई गई अधिशेष राशि (घाटा)		6,88,54,428	(2,07,77,237)	6,17,89,413	9,15,78,096
प्रमुख लेखा नीतियां	24				
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां	25				

विपिन त्यागी
विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार

दिनेश कुमार अग्रवाल,
महापंजीकार

के.वि. प्रभु
अध्यक्ष

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 11 जुलाई, 2022

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

राशि रुपये में					
प्राप्तियां	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	भुगतान	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
1. प्रारम्भिक शेष			1. व्यय		
क) अग्रदाय (रोकड़ शेष)			क) स्थापना व्यय	5,26,99,424	4,65,75,919
प्राधिकरण	-	25,000	ख) प्रशासनिक व्यय	1,96,41,212	1,95,16,093
रांची शाखा	1,268	1,337			
गुवाहाटी शाखा	3,991	33	2. निधियों के विरुद्ध किया गया भुगतान		
शिवमोगा शाखा	450	1,891	क) विद्यमान डीयूएस केन्द्र (अनुबंध-ख)	6,86,39,980	8,78,27,077
			ख) नया डीयूएस केन्द्र (अनुबंध-ग)	2,27,33,907	2,78,52,040
ख) बैंक शेष			ग) फील्ड जून बैंक (अनुबंध-ड.)	34,33,325	30,89,746
I चालू खाते में					
भारतीय स्टेट बैंक	7,72,527	3,30,63,163	3. अचल सम्पत्तियों व चालू पूंजीगत कार्यों पर व्यय		
भारतीय स्टेट बैंक (जीन निधि)	2,32,892	1,85,96,218	स्थायी परिसम्पत्ति की खरीद (प्राधिकरण)	2,45,340	6,98,709
भारतीय स्टेट बैंक पालमपुर शाखा	33,363	1,08,189			
			4. उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड को भवन निर्माण के लिए दिए गए अग्रिम	38,39,90,400	37,75,26,815
II जमा खातों में					
भारतीय स्टेट बैंक (जीन निधि)	16,26,79,459	18,16,18,576	5. प्रशिक्षण केन्द्रों को जारी अनुदान (अनुबंध-च)	80,000	2,40,000
केनरा बैंक (जीन निधि)	8,35,82,522	-			
केनरा बैंक (प्राधिकरण)	14,21,96,474	4,69,09,627	6. बाहरी विभागों को अग्रिम (अनुबंध छ)	25,69,880	45,72,960
भारतीय स्टेट बैंक (प्राधिकरण)	19,22,12,760	20,51,28,410			
			7. जीन निधि में योगदान	4,00,00,000	2,00,00,000
III बचत खातों में					
केनरा बैंक	6,14,46,622	7,00,18,402	8. शुल्क की वापसी/अंशदान/अन्य आय		
भारतीय स्टेट बैंक गुवाहाटी शाखा	1,37,548	1,28,471	आवेदन/पंजीकरण शुल्क की वापसी	2,59,200	10,000
भारतीय स्टेट बैंक रांची शाखा	1,31,268	1,21,283	वार्षिक नवीकरण शुल्क की वापसी	-	7,96,520
केनरा बैंक शिवमोगा शाखा	56,472	4,08,033			
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पुणे शाखा	1,26,843	1,29,921	9. आईटीपीजीआरएफ को योगदान	21,39,512	46,98,913
2. भारत सरकार ने प्राप्त अनुदान	59,99,90,000	61,15,59,000	10. अन्य पूर्वावधि समायोजन खाता	5,18,670	36,000
3. बैंक से प्राप्त ब्याज	3,04,89,421	3,31,82,825			
			11. पीपीवी एफआरए के कर्मचारियों को अग्रिम (अनुबंध- ज)	7,91,039	5,99,351
4. प्रशिक्षण केन्द्रों से अनुदान की वापसी (अनुबंध-च)	80,000	81,449			
			12. भुगतान की गई वैधानिक देयताएं (अनुबंध-ज)	2,76,16,080	2,82,88,175
5. डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास के लिए अनुदान की वापसी (नया डीयूएस केन्द्र) (अनुबंध-ग)	93,836	3,15,201			
			13. अन्य प्रेषण (अनुबंध-झ)	1,50,219	1,16,048
6. कर्मचारियों से अग्रिम की वापसी (ज)	950	69,701			
			14. अंत शेष		
7. संदर्भ प्रयोगशालाओं से अनुदान की वापसी (अनुबंध-घ)	-	1,46,945	क) अग्रदाय (रोकड़ शेष)		
			रांची शाखा	-	1268
8. अवर्गीकृत प्राप्तियां	2,05,54,247	21,37,258	गुवाहाटी शाखा	-	3,991
			शिवमोगा शाखा	-	450

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

प्राप्तियां	राशि रुपये में		भुगतान	राशि रुपये में	
	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
9. शुल्क/अंशदान/अन्य आय			पालमपुर शाखा	841	-
आवेदन/पंजीकरण शुल्क	44,64,800	67,04,500			
आवेदन शुल्क /पंजीकरण शुल्क के लिए अग्रिम	-	-	ख) बैंक शेष		
पीवी अंशदान शुल्क	38,12,500	53,33,500	I चालू खाते में		
वार्षिक शुल्क (बीजों की बिक्री से प्राप्त हिस्से सहित) - जीन निधि	1,90,14,771	1,65,09,931	भारतीय स्टेट बैंक	5,94,560	7,72,527
डीयूएस परीक्षण शुल्क	74,58,000	88,74,000	भारतीय स्टेट बैंक (जीन निधि)	2,03,93,594	2,32,892
अन्य आय (पूर्वावधि सहित)	2,76,039	-	भारतीय स्टेट बैंक पालमपुर शाखा	33,771	33,363
वार्षिक नवीकरण शुल्क	26,60,000	35,34,000			
पुराने समाचार-पत्रों, स्कैप की बिक्री	1,600	1,600	II जमा खातों में		
प्राधिकरण निधि से योगदान	4,00,00,000	2,00,00,000	भारतीय स्टेट बैंक (जीन निधि)	7,69,75,000	16,26,79,459
			केनरा बैंक (जीन निधि)	12,50,42,176	8,35,82,522
10. जीपीएफ आवर्ती जमा	-	13,50,000	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया - जीन निधि	10,12,46,700	-
			केनरा बैंक (प्राधिकरण)	21,36,12,151	14,21,96,474
11. प्राप्त की गई सीजीईजीआईएस राशि	1,320	360	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया - प्राधिकरण	18,88,08,444	-
			भारतीय स्टेट बैंक (प्राधिकरण)	22,57,000	19,22,12,760
12. वापसी	17,11,142	-	III बचत खातों में		
13. परिसम्पत्ति की बिक्री	10,380	-	केनरा बैंक	1,86,68,834	6,14,46,622
			भारतीय स्टेट बैंक गुवाहाटी शाखा	1,17,612	1,37,548
			भारतीय स्टेट बैंक रांची शाखा	1,10,834	1,31,268
			केनरा बैंक शिवमोगा शाखा	7,06,593	56,472
			बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पुणे शाखा	1,19,963	1,26,843
			यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	37,202	-
कुल	1,37,42,33,464	1,26,60,58,824	कुल	1,37,42,33,464	1,26,60,58,824

विपिन त्यागी

विपिन त्यागी

दिनेश कुमार अग्रवाल,

महापंजीकार

के.वि. प्रभु

अध्यक्ष

स्थान: नई दिल्ली

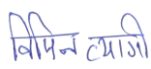
दिनांक: 11 जुलाई, 2022

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2022 को तुलन-पत्र के एक भाग के रूप में अनुसूची

राशि रुपये में

अनुसूची 1 - कोष/ पूंजी निधि	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
क) प्राधिकरण निधि				
वर्ष के आरंभ के अनुसार शेष राशि	36,98,55,011		39,08,59,621	
जोड़ें : अचल सम्पत्ति के प्रयुक्त के लिए निधि	3,45,368		7,11,209	
घटाएं : मूल्य ह्रास की कटौती	10,19,734		9,38,582	
जोड़ें (घटाएं) : आय तथा व्यय लेखों से हस्तांतरित निवल आय (व्यय) की शेष राशि	6,88,54,428	43,80,35,073	(2,07,77,237)	36,98,55,011
ख) जीन निधि				
वर्ष के आरंभ के अनुसार शेष राशि	25,21,76,573		16,05,98,477	
जोड़ें (घटाएं) : आय तथा व्यय लेखों से हस्तांतरित निवल आय (व्यय) की शेष राशि	6,17,89,413	31,39,65,986	9,15,78,096	25,21,76,573
वर्ष के अंत में शेष		75,20,01,059		62,20,31,584

अनुसूची 2: आरक्षित तथा अधिशेष	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
1. पूंजी संचय				
2. पुनर्मूल्यांकन संचय				
3. विशेष संचय				
4. सामान्य संचय				
कुल		-		-


विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार


दिनेश कुमार अग्रवाल,
महापंजीकार


के.वि. प्रभु
अध्यक्ष

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2022 को तुलन-पत्र के भाग के रूप में अनुसूची

राशि रुपये में

अनुसूची 3 – चिन्हित आय/स्थायी निधि	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
क. निधियों का प्रारंभिक शेष	76,50,00,000		36,50,00,000	
ख. वर्ष के दौरान जमा	39,99,90,000	1,16,49,90,000	40,00,00,000	76,50,00,000
कुल (क+ख)		1,16,49,90,000		76,50,00,000
ग. निधियों के उद्देश्य के प्रति उपयोग/व्यय				
1. पूंजी व्यय	1,05,92,02,929		30,47,60,628	
2. राजस्व व्यय	-	1,05,92,02,929	-	30,47,60,628
कुल (ग)	-	1,05,92,02,929	-	30,47,60,628
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख-ग)		10,57,87,071		46,02,39,372

विपिन त्यागी
विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार

दिनेश कुमार अग्रवाल,
महापंजीकार

के.वि. प्रभु
अध्यक्ष

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2022 को तुलन-पत्र के भाग के रूप में अनुसूची

राशि रुपये में

अनुसूची 4 – सुरक्षित ऋण तथा उधारियां	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
1. केन्द्र सरकार		
2. राज्य सरकार – विशिष्ट		
3. वित्तीय संस्थान		
4. बैंक		
5. अन्य संस्थान एवं एजेंसियां		
6. ऋण पत्र और बॉण्ड्स		
7. अन्य		
कुल	-	-

विपिन त्यागी

विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार

दिनेश कुमार अग्रवाल

दिनेश कुमार अग्रवाल,
महापंजीकार

के.वि. प्रभु

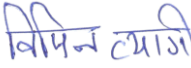
के.वि. प्रभु
अध्यक्ष

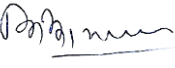
पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2022 को तुलन-पत्र के भाग के रूप में अनुसूची

राशि रुपये में

अनुसूची 5— असुरक्षित ऋण तथा उधारियां	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021
1. केन्द्र सरकार		
2. राज्य सरकार — विशिष्ट		
3. वित्तीय संस्थान		
4. बैंक		
5. अन्य संस्थान एवं एजेंसियां		
6. ऋण पत्र और बॉण्ड्स		
7. सावधि जमा		
8. अन्य		
कुल	—	—

अनुसूची 6— आस्थगित ऋण देयताएं	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
क. पूंजी उपकरण और अन्य संपत्तियों के दृष्टिबंधक द्वारा सुरक्षित स्वीकृति		
ख. अन्य		
कुल	—	—


विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार


दिनेश कुमार अग्रवाल,
महापंजीकार


के.वि. प्रभु
अध्यक्ष

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2022 को तुलन-पत्र के भाग के रूप में अनुसूची

राशि रुपये में

अनुसूची 7- चालू दायित्व एवं प्रावधान	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
क. चालू दायित्व				
1. स्वीकृतियाँ	-		-	
2. विविध लेनदारी				
क. माल के लिए	-		-	
ख. अन्य के लिए	35,15,186		47,62,121	
ग. स्टाफ के लिए				
बकाया वेतन	5,04,337	40,19,523	6,59,368	54,21,489
3. अग्रिम प्राप्ति				
आवेदन शुल्क/पंजीकरण शुल्क के लिए अग्रिम	-		40,000	
निविदा के विरुद्ध प्रतिभूति	60,000	60,000	30,000	70,000
4. अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं				
क. सुरक्षित ऋण/उधारियाँ	-		-	
ख. असुरक्षित ऋण/उधारियाँ	-		-	
5. वैधानिक देयताएं				
क. अतिदेय	-		-	
ख. अन्य के लिए	-		-	
स्रोत पर काटा गया कर	41,85,975		73,52,080	
नई पेंशन योजना	1,70,721		28,209	
लाइसेंस शुल्क	15,680		34,732	
जीपीएफ	26,925		26,925	
सहकारी ऋण सोसायटी	-		7,736	
सीजीईजीआईएस	1,255	44,00,556	1,375	74,51,057
6. अन्य वर्तमान देयताएं				
अप्रयुक्त वापसी योग्य अनुदान	17,99,985		1,24,48,714	
परियोजना संपत्ति व्यय हेतु प्रावधान	1,76,606		9,68,330	
परियोजना व्यय हेतु प्रावधान	2,62,050		41,47,993	
सी.पी.एफ. निधि लेखा	50,50,830		32,90,332	
भारत की समेकित निधि को देय अनुदान पर अर्जित ब्याज	20,79,288		-	
एल एस एवं पीसी	11,46,893		10,48,513	
अवर्गीकृत प्राप्तियाँ (प्राधिकरण/जीन निधि)	2,29,57,500	3,34,73,152	24,00,258	2,43,04,140
कुल (क)		4,19,53,231		3,72,46,686
ख. प्रावधान				
1. उपादान	73,99,166		59,77,238	
2. संचित छुट्टी नकदीकरण	92,72,205		73,73,551	
3. विभिन्न केन्द्रों को अदा किए गए अनुदान पर व्यय	11,34,55,494		10,64,79,873	
4. प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम पर व्यय	2,39,02,414	15,40,29,279	3,04,30,678	15,02,61,340
कुल (ख)		15,40,29,279		15,02,61,340
कुल (क + ख)		19,59,82,510		18,75,08,026

विपिन त्यागी

विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार

दिनेश कुमार अग्रवाल,

महापंजीकार

के.वि. प्रभु

अध्यक्ष

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2022 को तुलन-पत्र के भाग के रूप में अनुसूची

राशि रुपये में

अनुसूची 8- अचल संपत्ति और पूंजीगत चालू कार्य												
विवरण		सकल ब्लॉक				संचयी मूल्यहास / परिशोधन				निवल ब्लॉक		
		1 अप्रैल 2021 को लागत/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	31 मार्च 2022 को लागत/मूल्यांकन	1 अप्रैल 2021 को	वर्ष के दौरान मूल्यहास / परिशोधन	समायोजन	वर्ष के दौरान कटौती	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
क.	अचल सम्पत्ति											
1	भूमि											
	क. पूर्णस्वामित्व	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ख. पट्टे पर	30	-	-	30	10	1	-	-	11	19	20
2	भवन											
	क. पूर्णस्वामित्व भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ख. पट्टा भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ग. स्वामित्व फ्लैट/परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	घ. भूमि पर अधिरचना जो इकाई से संबंधित नहीं है	13,44,654	46,528	-	13,91,182	8,79,602	48,832	-	-	9,28,434	4,62,748	4,65,052
3	संयंत्र मशीनरी व उपकरण	32,71,835	-	-	32,71,835	25,53,407	1,07,764	-	-	26,61,171	6,10,664	7,18,428
4	वाहन	6,88,822	-	-	6,88,822	2,28,474	69,052	-	-	2,97,526	3,91,296	4,60,348
5	फर्नीचर और फिक्सचर्स	46,24,060	-	-	46,24,060	26,42,944	1,98,112	-	-	28,41,056	17,83,004	19,81,116
6	कार्यालय उपकरण	24,48,241	56,215	2,32,398	22,72,058	8,93,876	2,39,035	-	2,27,438	9,05,473	13,66,585	15,54,365
7	कम्प्यूटर (बाह्य उपकरण)	1,40,10,810	1,74,085	7,53,195	1,34,31,700	1,33,42,665	3,36,943	-	7,47,775	1,29,31,833	4,99,867	6,68,145
8	पुस्तकालय पुस्तकें	24,18,678	-	-	24,18,678	24,09,092	3,834	-	-	24,12,926	5,752	9,586
9	अन्य अचल सम्पत्तियां (सॉफ्टवेयर सीडी आदि)	9,56,148	24,840	-	9,80,988	9,54,244	10,698	-	-	9,64,942	16,046	1,904
10	व्यापार चिह्न	-	43,700	-	43,700	-	5,463	-	-	5,463	38,237	-
	कुल	2,97,63,279	3,45,368	9,85,593	2,91,23,053	2,39,04,314	10,19,734	-	9,75,213	2,39,48,835	51,74,218	58,58,965
	पिछले वर्ष	3,49,30,287	7,11,209	58,78,218	2,97,63,279	2,75,25,378	9,38,583	9	45,59,657	2,39,04,314	58,58,965	74,04,909
ख	पूंजीगत चालू कार्य											
	पूंजीगत चालू कार्य - सॉफ्टवेयर	7,55,600	9,750	-	7,65,350	-	-	-	-	-	7,65,350	7,55,600
	वर्तमान वर्ष का कुल	7,55,600	9,750	-	7,65,350	-	-	-	-	-	7,65,350	7,55,600
	पिछले वर्ष	-	7,55,600	-	7,55,600	-	-	-	-	-	7,55,600	-

विपिन त्यागी
विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार

दिनेश कुमार अग्रवाल,
महापंजीकार

के.वि. प्रभु
अध्यक्ष

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2022 को तुलन-पत्र के भाग के रूप में अनुसूची

राशि रुपये में

अनुसूची 9— निवेश—चिन्हित/स्थायी निधि से	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
1. सरकारी प्रतिभूतियां		
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
3. शेयर		
4. ऋण पत्र और बॉण्ड्स		
5. सहायक और संयुक्त उद्यम		
6. अन्य — विनिर्दिष्ट किया जाए		
कुल	—	—

अनुसूची 10— निवेश—अन्य	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
1. सरकारी प्रतिभूतियां		
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
3. शेयर		
4. ऋण पत्र और बॉण्ड्स		
5. सहायक और संयुक्त उद्यम		
6. अन्य — विनिर्दिष्ट किया जाए		
कुल	—	—

विपिन त्यागी

विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार

दिनेश कुमार अग्रवाल

दिनेश कुमार अग्रवाल,
महापंजीकार

के.वि. प्रभु

के.वि. प्रभु
अध्यक्ष

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2022 को तुलन-पत्र के भाग के रूप में अनुसूची

राशि रुपये में

अनुसूची 11- चालू सम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
1. चालू सम्पत्तियाँ				
1. माल				
क. भंडार एवं पुर्जे	53,225		95,673	
ख स्टेशनरी	74,282		85,345	
ग. बिक्री के लिए माल	-	1,27,507	-	1,81,018
2. विविध देनदार		-		-
3. हस्तगत रोकड़ शेष (चैक/ड्राफ्ट/अग्रदाय/स्टैम्प सहित)				
अग्रदाय				
प्राधिकरण	-		-	
गुवाहाटी	-		3,991	
पुणे	-		-	
रांची	-		1,268	
शिवमोगा	-		450	
पालमपुर	841	841	-	5,709
4. डाक टिकट		1,61,057		1,42,772
5. बैंक शेष				
क) अनुसूचित बैंक के पास				
चालू खातों पर				
प्राधिकरण निधि -एसबीआई	5,94,560		7,72,527	
जीन निधि - एसबीआई	2,03,93,594	2,09,88,154	2,32,892	10,05,419
जमा खातों पर				
जीन निधि - सावधि जमा एसबीआई	7,69,75,000		16,26,79,459	
जीन निधि - सावधि जमा केनरा बैंक	12,50,42,176		8,35,82,522	
जीन निधि - सावधि जमा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	10,12,46,700		-	
प्राधिकरण निधि -सावधि जमा केनरा बैंक	21,36,12,151		14,21,96,474	
प्राधिकरण निधि- सावधि जमा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	18,88,08,444		-	
प्राधिकरण निधि -सावधि जमा एसबीआई	22,57,000	70,79,41,471	19,22,12,760	58,06,71,215
बचत खातों पर				
केनरा बैंक - प्राधिकरण	1,86,68,834		6,14,46,622	
एसबीआई - गुवाहाटी	1,17,612		1,37,548	
एसबीआई - रांची	1,10,834		1,31,268	
एसबीआई -पालमपुर	33,771		33,363	
केनरा बैंक - शिवमोगा	7,06,593		56,472	
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया - प्राधिकरण	37,202		-	
बैंक ऑफ महाराष्ट्र - पुणे	1,19,963	1,97,94,809	1,26,843	6,19,32,116
ख) गैर अनुसूचित बैंकों सहित				
चालू खाते पर	-		-	
जमा खाते पर	-		-	
बचत खाते पर	-	-	-	-
कुल (क)		74,90,13,839		64,39,38,249

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2022 को तुलन-पत्र के भाग के रूप में अनुसूची

राशि रुपये में

अनुसूची 11- चालू सम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को		
ख. ऋण अग्रिम एवं अन्य सम्पत्तियां				
1. ऋण				
क. स्टाफ	1,351		17,155	
ख. इसी तरह की गतिविधियों/उद्देश्यों में लगी हुई अन्य संस्थाएं	-		-	
ग. अन्य	-	1,351	70	17,225
2. अग्रिम और अन्य राशि जो नकद या वस्तु के रूप में या वसूली योग्य है				
क. पूंजीगत खाते पर				
प्राधिकरण भवन के निर्माण के लिए अग्रिम	9,95,18,402		45,39,70,703	
वेबसाइट के विकास के लिए अग्रिम	64,14,400		-	
सॉफ्टवेयर के विकास के लिए अग्रिम	10,59,958	10,69,92,760	10,69,708	45,50,40,411
ख. पूर्व भुगतान				
पूर्वदत्त व्यय	30,532		1,62,473	
डीयूएस परीक्षण शुल्क के लिए जारी अनुदान	24,24,385		15,66,500	
प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए जारी अनुदान	2,98,78,018		3,04,58,018	
बाहरी विभागों के लिए अग्रिम	55,74,520		96,51,500	
नए डीयूएस केन्द्र को जारी अनुदान	3,68,00,438		3,15,77,216	
वर्तमान डीयूएस केन्द्रों को जारी अनुदान	9,01,58,378		7,20,79,232	
फील्ड जीन बैंक को जारी अनुदान	27,81,492		2,45,364	
संदर्भ प्रयोशालाओं को जारी अनुदान	49,714		49,714	
बीज बैंक की नई स्थापना के लिए जारी अनुदान	25,28,347	17,02,25,824	25,28,347	14,83,18,364
ग. अन्य				
आय कर वसूली योग्य (प्राधिकरण व जीन निधि)	43,12,157		65,64,956	
सीपीएफ प्राप्य	45,000		45,000	
प्रतिभूति जमा - एमटीएनएल	1,000		1,000	
अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान प्राप्य	5,88,433	49,46,590	-	66,10,956
3. उपाजित आय				
क. चन्हित/स्थायी निधि से निवेश पर				
ख. निवेश पर - अन्य	-		-	
ग. ऋण तथा अग्रिम पर				
घ. अन्य	-		-	
-भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक में सावधि जमा खाते पर अर्जित ब्याज	95,86,901		73,11,212	
-भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक में सावधि जमा खाते पर अर्जित ब्याज - जीन निधि	51,35,807		-	
-वार्षिक शुल्क वसूली योग्य (जीन निधि)	19,28,000	1,66,50,708	19,28,000	92,39,212
कुल (ख)		29,88,17,233		61,92,26,168
कुल (क+ख)		1,04,78,31,072		1,26,31,64,417

विपिन त्यागी
विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार

दिनेश कुमार अग्रवाल,
महापंजीकार

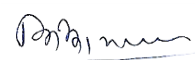
के.वि. प्रभु
अध्यक्ष

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता के भाग के रूप में अनुसूची

अनुसूची 12. बिक्री/सेवाओं से आय	राशि रुपये में	
	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
1. बिक्री से आय		
2. सेवाओं से आय		
कुल	-	-

अनुसूची 13 - अनुदान/अनुवर्ती - प्राधिकरण निधि	राशि रुपये में			
	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
केन्द्र सरकार	21,16,14,547		21,15,59,000	
घटाएं- वापसी योग्य अप्रयुक्त अनुदान	17,99,985		1,16,14,547	
घटाएं- अचल संपत्ति के लिए उपयोग की गई निधि	3,45,368	20,94,69,194	7,11,209	19,92,33,244
राज्य सरकार		-		-
सरकारी एजेंसियां		-		-
संस्थान/कल्याणकारी निकाय		-		-
अंतरराष्ट्रीय संगठन		-		-
अन्य		-		-
कुल		20,94,69,194		19,92,33,244
अनुदान/अनुवर्ती (जीन निधि)				
प्राधिकरण निधि से योगदान		4,00,00,000		2,00,00,000
कुल		4,00,00,000		2,00,00,000


विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार


दिनेश कुमार अग्रवाल,
महापंजीकार


के.वि. प्रभु
अध्यक्ष

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता के भाग के रूप में अनुसूची

अनुसूची-14- शुल्क/अंशदान (प्राधिकरण निधि)	राशि रुपये में	
	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
डीयूएस परीक्षण शुल्क	73,70,000	90,28,000
प्रवेश शुल्क/आवेदन शुल्क	42,93,600	66,23,100
अंशदान/पी वी शुल्क	38,11,500	53,33,500
संगोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क	-	-
परामर्श शुल्क/डीयूएस शुल्क	-	-
विरोध की सूचना के लिए शुल्क	-	-
वार्षिक नवीकरण शुल्क	24,50,000	35,34,000
विस्तार देने के लिए शुल्क	-	-
वार्षिक शुल्क	-	-
निरीक्षण शुल्क	-	-
कुल	1,79,25,100	2,45,18,600
शुल्क/अंशदान (जीन निधि)		
बीज की बिक्री से हिस्सा / रॉयल्टी	1,76,47,747	89,45,116
वार्षिक शुल्क	27,39,512	85,67,342
अन्य	1,000	2,600
कुल	2,03,88,259	1,75,15,058

अनुसूची 15. निवेश से आय	चिन्हित निधि से निवेश		निवेश - अन्य	
	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
1. ब्याज				
क. सरकारी प्रतिभूतियों पर				
ख. अन्य बॉण्ड/ऋण पत्र				
2. लाभांश				
क. अंशों पर				
ख. म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर				
3. किराया				
4. अन्य				
कुल	-	-	-	-
चिन्हित/स्थायी निधियों को हस्तांतरित	-	-	-	-

विपिन त्यागी
विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार

दिनेश कुमार अग्रवाल,
महापंजीकार

के.वि. प्रभु
अध्यक्ष

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता के भाग के रूप में अनुसूची

राशि रुपये में		
	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची 16 – रॉयल्टी प्रकाशन आदि से आय		
रॉयल्टी से आय		
प्रकाशन से आय		
अन्य		
कुल	—	—

राशि रुपये में		
	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची 17 – अर्जित ब्याज (प्राधिकरण निधि)		
1. अवधि जमा / सावधि जमा		
अनुसूचित बैंकों के पास		
सावधि जमा (एसबीआई)	38,61,308	1,72,11,793
सावधि जमा (केनरा बैंक)	1,66,28,416	68,49,418
सावधि जमा (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया)	27,71,388	-
गैर अनुसूचित बैंकों के पास		
संस्थाओं के साथ	-	-
अन्य	-	-
2. बचत खातों पर		
अनुसूचित बैंकों के पास (केनरा बैंक)	19,13,358	20,23,659
अनुसूचित बैंकों के पास (एसबीआई)	6,900	6,672
अनुसूचित बैंकों के पास (बैंक ऑफ महाराष्ट्र)	3,551	3,655
3. ऋण पर	-	-
4. देनदारों और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज	1,20,740	68,792
5. आयकर विभाग से ब्याज	1,97,121	-
कुल	2,55,02,782	2,61,63,989
अर्जित ब्याज (जीन निधि)		
1. अवधि जमा / सावधि जमा पर		
सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	1,23,98,132	1,51,31,462
कुल	1,23,98,132	1,51,31,462

विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार

दिनेश कुमार अग्रवाल,
महापंजीकार

के.वि. प्रभु
अध्यक्ष

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता के भाग के रूप में अनुसूची

राशि रुपये में

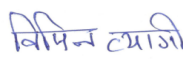
अनुसूची 18 – अन्य आय	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
स्टाफ कार के उपयोग के लिए वसूली	9,120	8,360
पुराने समाचार, पत्रिका व स्कैप से बिक्री	1,600	1,600
अपलिखित देयता	2,63,707	10,587
विविध आय (अन्य)	10	3,33,481
अतिरिक्त प्रावधान वापस लिया गया	59,44,671	-
अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान की प्राप्ति	5,88,433	-
कुल	68,07,541	3,54,028
अन्य आय (जीन निधि)		
विविध आय	304	1,390
कुल	304	1,390

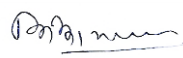
राशि रुपये में

अनुसूची 19— तैयार माल और चालू कार्य के स्टॉक में वृद्धि / कमी	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
अंतिम रहतिया		
तैयार माल		
चालू कार्य		
आरंभिक रहतिया		
तैयार माल		
चालू कार्य		
निवल वृद्धि / कमी	-	-

राशि रुपये में

अनुसूची 20— स्थापना व्यय	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
मूल वेतन	1,45,83,983	1,53,18,867
विशेष वेतन	20,640	18,920
प्रतिनियुक्ति भत्ता	1,08,000	99,000
बोनस	41,448	53,448
महंगाई भत्ता	44,20,687	26,04,219
यात्रा भत्ता	11,15,972	6,10,892
नई पेंशन योजना में अंशदान	18,61,815	14,12,212
मकान किराया भत्ता	31,04,727	26,56,957
छुट्टी नकदीकरण	19,36,120	9,35,518
अवकाश वेतन एवं पेंशन अंशदान	11,86,361	10,66,875
छुट्टी यात्रा रियायत	61,305	3,42,087
बाल शिक्षा भत्ता	3,39,750	3,11,625
उपादान	14,21,928	7,37,054
मजदूरी	2,45,37,675	2,43,04,897
स्टाफ कल्याण व्यय (चिकित्सा व्यय)	3,15,032	3,49,559
कुल	5,50,55,443	5,08,22,130


विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार


दिनेश कुमार अग्रवाल,
महापंजीकार


के.वि. प्रभु
अध्यक्ष

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता के भाग के रूप में अनुसूची

राशि रुपये में

अनुसूची 21- अन्य प्रशासनिक व्यय आदि (प्राधिकरण)	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
सामान्य सेवा शुल्क	8,49,058	13,68,475
बिजली एवं पानी व्यय	2,80,031	2,26,386
प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों पर व्यय	2,60,637	4,49,960
प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों पर व्यय	7,40,515	2,40,000
अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी / कार्यशालाओं पर व्यय	21,39,512	46,98,913
किराया शुल्क - समिति कक्ष	-	1,200
किराया शुल्क - वाहन	15,34,301	17,47,773
किराया शुल्क - पीओएस मशीन	7,316	8,083
आतिथ्य व्यय	3,26,477	2,71,245
हाउस कीपिंग / ऑफिस मेंटेनेंस खर्च	1,16,563	42,480
बीमा	14,463	16,609
विविध व्यय	2,83,046	7,63,487
समाचार पत्र	1,26,198	1,12,301
डाक, दूरसंचार एवं दूरभाष	6,85,956	10,35,635
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	9,60,320	1,48,938
पैकिंग सामग्री	51,330	-
व्यावसायिक शुल्क	37,90,491	37,21,099
प्रचार एवं विज्ञापन	7,88,181	5,03,914
किराया, दर एवं कर	12,30,174	11,44,601
वाहन परिचालन और रखरखाव	96,413	90,359
मरम्मत एवं रखरखाव	2,74,532	4,60,630
राजभाषा खर्च	73,000	92,000
बैठक शुल्क	24,800	41,600
सदस्यता शुल्क का भुगतान	13,618	2,476
बैंक शुल्क	43,935	42,211
निगरानी व्यय	26,27,324	19,21,169
यात्रा व्यय - घरेलू (स्टाफ)	9,85,109	4,82,839
यात्रा व्यय - घरेलू (बाहरी)	-	65,983
कुल	1,83,23,300	1,97,00,365
अन्य प्रशासनिक व्यय (जीन निधि)		
कार्यक्रम प्रबंधन व्यय	8,39,957	-
विविध व्यय	-	-
प्रचार एवं विज्ञापन व्यय	-	25,66,481
यात्रा व्यय - घरेलू (विशेषज्ञ)	9,01,362	-
यात्रा व्यय - बाहरी	7,74,739	-
किराया शुल्क - वाहन	1,43,106	-
किराया शुल्क - समिति कक्ष	97,000	-
पुरस्कार एवं सम्मान	80,50,000	-
स्मृति चिन्ह	1,50,469	-
प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम पर खर्च	-	-
बैंक शुल्क	649	1,416
कुल	1,09,57,282	25,67,897

विपिन त्यागी
विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार

दिनेश कुमार अग्रवाल,
महापंजीकार

के.वि. प्रभु
अध्यक्ष

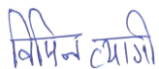
पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

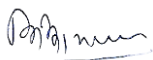
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता के भाग के रूप में अनुसूची राशि रुपये में

अनुसूची 22— अनुदान, आर्थिक सहायता आदि पर व्यय	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
संस्थानों / संगठनों को दिया गया अनुदान	7,41,69,608	12,03,14,147
परियोजनाओं पर किया गया खर्च	80,01,761	1,03,31,061
जीन निधि को अंशदान	4,00,00,000	2,00,00,000
कुल	12,21,71,369	15,06,45,208

राशि रुपये में

	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची 23— ब्याज		
सावधि ऋण पर	-	-
अन्य विशिष्ट ऋण पर	-	-
ब्याज का भुगतान — सरकार	12,45,121	8,34,167
अन्य	2,60,498	5,39,489
कुल	15,05,619	13,73,656
जीन निधि		
अन्य विशिष्ट ऋण पर (जीन निधि)	-	-
कुल	-	-


विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार


दिनेश कुमार अग्रवाल,
महापंजीकार


के.वि. प्रभु
अध्यक्ष

अनुसूची 24

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्रमुख लेखा नीतियां

1. लेखा परंपरा

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के अनुसार सामान्य रूप से स्वकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी), इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी अनिवार्य लेखा मानकों और लेखा महानियंत्रक द्वारा केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों के लिए निर्धारित प्रारूप में तैयार किए गए हैं। प्राधिकरण आय व व्यय की सभी मदों के संबंध में लेखे की अर्जन विधि को अपनाती है, जबतक कि अन्यथा न कहा गया हो।

2. वस्तु सूची का मूल्यांकन

भंडारों के स्टॉक, खपत योग्य तथा अन्य वस्तु सूची मदों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

3. अचल सम्पत्तियां

- क) अचल सम्पत्तियों का लेखा तब रखा जाता है जब उचित निरीक्षण के पश्चात् उन्हें प्राप्त कर लिया जाता है।
- ख) अचल सम्पत्तियों को लागत में से कुल मूल्यघास को घटा कर दिखाया जाता है। लागत में क्रय मूल्य, मालभाड़ा, शुल्क तथा कर और कोई भी ऐसी प्रत्यक्ष लागत आती है जो परिसम्पत्तियों को उसकी कार्यदशा में प्रयोग हेतु लाने में व्यय की गई हो। अचल सम्पत्तियों को अधिग्रहीत करने/उनके निर्माण से संबंधित वित्तीय लागत को भी शामिल किया जाता है उस अवधि के लिए जिस अवधि तक परिसम्पत्तियां अपने अपेक्षित उपयोग के लिए तैयार होती हों।
- ग) गैर-आर्थिक अनुदानों से प्राप्त अचल सम्पत्तियों का पूंजीकरण बताए गए मूल्य पर तदानुसार जमा पूंजी संचय में किया जाता है। निशुल्क उपहार के रूप में प्राप्त की गई अचल सम्पत्तियों को 1 रुपये के नाममात्र मूल्य पर लेखाकृत किया जाता है।

4. मूल्यघास

- क) मूल्यघास प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 में निर्धारित दरों पर घासित मूल्य पर किया जाता है।
- ख) 5000/-रु. और इससे कम की लागत वाली अचल सम्पत्तियों की प्रत्येक मद को उनके अधिग्रहण के वर्ष में पूर्णतः मूल्यघासित किया जाता है।
- ग) पट्टे पर ली गई भूमि पट्टे की अवधि पर परिशोधित की जाती है।

5. पट्टेदारी

पट्टेदारी का किराया लीज़ की शर्तों के संदर्भ में व्यय के रूप में दिखाया जाता है।

6. परिसम्पत्तियों की क्षति

परिसम्पत्तियों में क्षति तब मानी जाती है जब परिसम्पत्तियों की लागत उनकी वसूली मूल्य से अधिक हो जाती है। यह क्षति उस वर्ष के आय व व्यय के विवरण में दर्ज की जाती है जिस वर्ष परिसम्पत्ति को क्षतिग्रस्त पहचाना जाता है। क्षति संबंधी हानि जिसे पूर्व लेखा अवधि में

लेखांकित किया जा चुका है, को वापस कर लिया जाता है, यदि अनुमानित या वसूली योग्य राशि में कोई परिवर्तन होता है।

7. विभिन्न व्यय

आस्थगित राजस्व व्यय, जिस वर्ष हुआ है से पांच वर्ष की अवधि के भीतर अपलिखित कर दिए जाते हैं।

8. सरकारी अनुदान/अनुवर्ती

(क) एकमुश्त अनुदान सहायता भारत सरकार से पूंजी या राजस्व और वेतन के रूप में होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए प्राप्त होती है। अनुदान सहायता से सृजित ह्यसशील परिसम्पत्तियों की लागत को 'कॉर्पस/पूंजीगत निधि' के खाते में दर्ज किया जाता है। उन परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास कॉर्पस/पूंजीगत निधि के विरुद्ध दिखाया जाता है तथा इन्हें आय तथा व्यय लेखों में आय के अंतर्गत दिखाया जाता है। वर्षांत अप्रयुक्त अनुदान की राशि को दायित्व के अंतर्गत दिखाया जाता है और सरकार को वापस किया जाता है। जहां पिछले वर्ष की अव्ययित राशि के पुनर्वैधीकरण और आगामी वित्तीय वर्ष में इसके उपयोग के लिए सरकार की स्वीकृति प्राप्त हुई है, वहां सरकार को देय राशि को वर्ष के लिए अनुदान में फिर से जमा किया गया है। सरकार से प्राप्त अनुदान पर अर्जित ब्याज का भुगतान वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद भारत की संचित निधि में कर दिया जाता है। डीयूएस केन्द्रों तथा अन्यो को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद जारी अनुदान सहायता/अनुदान को, केन्द्रों के पास उपलब्ध राशि के रूप में दिखाया जाता है और संबंधित डीयूएस केन्द्रों/अन्यो से निर्धारित प्रारूप में अंकेक्षित उपयोगिता प्रमाण-पत्र होने पर वास्तविक व्यय को डीयूएस केन्द्र/अन्यो को अनुदान के नाम पक्ष में दिखाया जाता है और वर्ष के अंत में अनुदान की शेष राशि केन्द्रों के पास उपलब्ध अप्रयुक्त राशि के रूप में दिखाई जाती है।

(ख) जिन मामलों में केन्द्र उपयोग प्रमाण पत्र लेखों को अंतिम रूप देने के पश्चात् उसके पूर्व के वर्ष के लिए प्रस्तुत करता है, उन मामलों में व्यय को प्रावधान से समायोजित किया जाता है। यदि कोई प्रावधान न हो तो इसे पूर्व अवधि समायोजित खाते में दिखाया जाता है, जैसा भी मामला हो।

(ग) यदि वास्तविक व्यय की गई राशि भुगतान की गई अनुदान राशि से अधिक है तो प्राप्त उपयोग प्रमाण-पत्र के आधार पर व्यय की गई अतिरिक्त राशि के लिए आवश्यक दायिता सृजित की जाती है और सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से राशि जारी की जाती है तथा इस प्रकार किए गए अतिरिक्त व्यय को तर्कसंगत नहीं पाया जाता है तो सृजित दायिता को वापस ले लिया जाता है।

घ) प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित परियोजनाओं के रखरखाव पर हुए व्यय को उसी प्रकार लेखाकृत किया जाता है, जैसा डीयूएस केन्द्रों के मामले में होता है।

9. विदेशी मुद्रा लेन-देन

विदेशी मुद्रा संबंधी लेन-देन, लेन-देन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर दिखाए जाते हैं।

10. सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ

क) नई पेंशन योजना के वर्ष के दौरान प्राधिकरण द्वारा अदा किए गए/अदा किए जाने वाले योगदानों को आय और व्यय के विवरण में दर्ज किया जाता है।

- ख) ग्रेच्युटी संबंधी दायिताओं को वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर दिखाया जाता है और इसे वार्षिक रूप से निर्धारित किया जाता है।
- ग) कर्मचारियों को छुट्टी नकदीकरण के लिए दी जाने वाली देयता अर्जन आधार पर प्रतिवर्ष निर्धारित की जाती है जो वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित होती है।

11. कर—निर्धारण

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 91 के अंतर्गत प्राधिकरण अपनी संपत्ति, आय, लाभ या प्राप्तियों के लिए किसी प्रकार का संपत्ति कर, आय कर या अन्य कोई कर अदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

12. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसम्पत्तियां

प्रावधान करते समय अनुमान की पर्याप्त मात्रा का प्रयोग किया जाता है और उन्हें मान्यता दी जाती है जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान में दायित्व उत्पन्न हो और यह संभावी हो कि संसाधनों की निकासी होगी। आकस्मिक देयताओं को मान्यता नहीं दी जाती है लेकिन खातों का हिस्सा बनने वाली टिप्पणियों में इसका प्रकटीकरण किया जाता है। आकस्मिक परिसम्पत्तियों को वित्तीय विवरणों में न तो मान्यता दी जाती है और न ही उनका प्रकटीकरण किया जाता है।

13. आय और व्यय

इस अनुच्छेद के अंत में बताए गए विवरण के अतिरिक्त वर्ष के सभी आय और व्यय को अर्जन आधार पर लेखे के विशिष्ट प्रत्यक्ष शीर्षकों में लेखाकृत किया जाता है।

- क) पिछले वर्षों का ऐसा आय अथवा व्यय जो प्रावधान करने/देयता सृजित करने में हुई एक या इससे अधिक पूर्व अवधियों के दौरान हुई त्रुटियों या गलतियों के परिणामस्वरूप हुए हों, इन्हें 'पूर्व अवधि समायोजन' लेखे के अंतर्गत लेखाकृत किया जाता है।
- ख) यदि वास्तविक व्यय अथवा आय अनुमानित आधार पर किए गए सृजित देयता/प्रावधान से अधिक हो जाते हैं तो उन्हें नकद आधार पर लेखाकृत किया जाता है।
- ग) प्राधिकरण द्वारा वार्षिक लेखों को अंतिम रूप देने के बाद की तिथि में लिए गए निर्णय के कारण और किसी अति विशिष्ट मद पर हुए आय/व्यय को, यदि कोई है तो तत्कालीन प्रभाव से नकद आधार पर लेखाकृत किया जाता है।
- घ) तुलन-पत्र में किसी मद के लेखाकरण उपचार या प्रकटीकरण की विधि का पता लगाने में महत्वपूर्ण होने की संकल्पना पर ध्यान दिया जाता है। अतः 1000/-रु. तक की प्रत्येक मद के लिए पहले से अदा किए गए/पूर्व अवधि को नकद आधार पर लेखे के प्राकृतिक शीर्षों में दर्ज किया जाता है।

14. राजस्व मान्यता

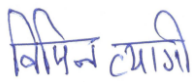
- क) आवेदन/पंजीकरण हेतु शुल्क, समय बढ़ाने तथा किसी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठन से विरोध संबंधी और योगदान संबंधी नोटिस के लिए दिया जाने वाला समय तथा उससे होने वाली आय को प्राप्ति पर मान्यता दी जाती है।

- ख) (i) वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान तथा उसके बाद प्राप्त डीयूएस परीक्षण शुल्क को उस वर्ष में प्राधिकरण की आय माना जाएगा जिस वर्ष यह प्राप्त होता है।
(ii) 2008-09 से 2012-13 की अवधि के लिए प्राप्त डीयूएस परीक्षण शुल्क तथा इसके विरुद्ध अदा की गई अनुदान राशि, संबंधित डीयूएस परीक्षण केन्द्र को अदा की गई 50 प्रतिशत अग्रिम राशि को जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र तथा प्रत्येक मामले में अब तक प्राप्त की गई रिपोर्ट के आधार पर प्राप्त डीयूएस परीक्षण शुल्क के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा और अग्रिम राशि की शेष बची 50 प्रतिशत राशि को संबंधित डीयूएस केन्द्रों को देने की बजाय प्राधिकरण की आय माना जाएगा। इसके साथ ही प्राप्त किए गए कुल डीयूएस परीक्षण शुल्क में प्राधिकरण के 30 प्रतिशत हिस्से को भी आय माना जाएगा। जिन मामलों में परीक्षण रिपोर्ट न प्राप्त हुई हो वहां राशि को परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर समायोजित किया जाएगा।
- ग) प्रजनकों से लाभ में भागीदारी और क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त की गई राशि को दावेदारों की देयता के रूप में माना जाता है जब ऐसी राशि प्राप्त होती है।
- घ) अग्रिम में प्राप्त पीवीजे सदस्यता को अगले वित्तीय वर्ष से संबंधित सीमा तक पूर्व अदा किए गए के रूप में शामिल किया जाता है।
- ड.) ब्याज से हुई आय को बकाया राशि तथा लागू दरों के अनुसार समय अनुपात आधार पर दर्ज किया जाता है।

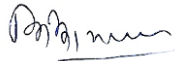
15. पृथक प्रकटीकरण

निम्न के संबंध में आय तथा व्यय लेखे में पृथक प्रकटीकरण किए जाते हैं :

- क) 'पूर्व अवधि' मदों में वे मदें शामिल हैं जो ऐसे आय अथवा व्यय का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं जो एक या इससे अधिक की पूर्व अवधियों में वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय त्रुटियों या भूलों के परिणामस्वरूप चालू वर्ष में उत्पन्न हुई हो।
- ख) 'असाधारण मदें' जो आय या व्यय की महत्वपूर्ण मदें होती हैं जो ऐसी घटनाओं या लेन-देनों से उत्पन्न होती हैं जो सामान्य क्रियाकलापों से स्पष्ट रूप से भिन्न होते हैं, अतः इनके बार-बार या नियमित रूप से घटित होने की अपेक्षा नहीं की जाती है।
- ग) 'विभिन्न आय' शीर्ष के अंतर्गत कोई भी ऐसी मद जो प्राधिकरण की सकल आय के 1 प्रतिशत अथवा 50,000/-रु., इनमें से जो भी अधिक हो, उससे ज्यादा हो, उसे आय तथा व्यय के लेखे में उचित लेखाशीर्ष में दर्शाया जाता है।
- घ) 'विभिन्न व्यय' के शीर्ष के अंतर्गत कोई भी ऐसी मद जो प्राधिकरण की सकल आय के 1 प्रतिशत अथवा 50,000/-रु., इनमें से जो भी अधिक हो, उससे ज्यादा हो, उसे आय तथा व्यय के लेखे में उचित लेखा शीर्ष में अलग से दर्शाया जाता है।



विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार



दिनेश कुमार अग्रवाल,
महापंजीकार



के.वि. प्रभु
अध्यक्ष

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 11 जुलाई, 2022

अनुसूची 25

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणियां

1. आकस्मिक देयताएं

- (i) उन आवेदकों का शुल्क वापस करने के मामले में प्राधिकरण के विरुद्ध एक संबंधित मुकदमे में जहां पर आवेदकों के द्वारा आवेदन राजपत्र अधिसूचना के पूर्व किया था जिसकी राशि 29,15,000 रुपये (पिछले वर्ष 29,15,000 रु.) के लगभग बताई गई है, माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे शुल्क को वापस करने का निर्णय दिया है। तथापि, प्राधिकरण ने माननीय उच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है।
- (ii) कर्मचारियों/पक्षों द्वारा दाखिल किए गए दावों/न्यायालय मुकदमों के संदर्भ में देयता की राशि अनमान योग्य नहीं है।

2. पूंजीगत प्रतिबद्धता

पौधा प्राधिकरण भवन के निर्माण के संबंध में पूंजीगत खाते के अंतर्गत कार्यान्वित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की राशि जिसका प्रावधान नहीं किया गया है 11,51,61,034/-रु. (पिछले वर्ष 51,51,51,034/-रु.) है।

3. पट्टे संबंधी बाध्यता

(क) प्राधिकरण में अपने मुख्यालय तथा शाखा कार्यालयों के लिए पट्टेदारी संबंधी निम्न व्यवस्था है:

मुख्यालय/शाखा कार्यालय	पट्टेदार	पट्टे की अवधि	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए पट्टेदारी किराया (रु.)	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए पट्टेदारी किराया
दिल्ली मुख्यालय	भा.कृ.अ.प., नई दिल्ली	—	2,69,508 /—	2,69,508 /—
गुवाहाटी शाखा कार्यालय	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट (एएयू)	25 वर्ष	60,000 /—	60,000 /—
रांची शाखा कार्यालय	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू), रांची	25 वर्ष	60,000 /—	60,000 /—
शिवमोगा शाखा कार्यालय	कृषि एवं बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय, शिवमोगा	25 वर्ष	3,15,600 /—	3,15,600 /—
पालमपुर शाखा कार्यालय	सीएसके हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर	25 वर्ष	1,86,840 /—	1,86,840 /—
पुणे शाखा कार्यालय	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी	25 वर्ष	3,38,226 /—	2,52,653 /—

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपने पत्र सं. 2(2)/2007 सी पीटी/ईसी दिनांक 24.01.2011 के द्वारा 28.04.2011 से 30 वर्ष के लिए पट्टे के आधार पर हरभजन इन्कलेव, पूसा परिसर, नई दिल्ली के निकट 10,480 वर्ग मी. भूमि पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण को आबंटित की है। यह अवधि आपसी समझौते पर और भी बढ़ाई जा सकती है। इस संबंध में 11 नवम्बर 2013 को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (भा.कृ.अ.सं.)/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.) और पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवी और एफआरए) के बीच 1 रु. प्रति वर्ष किराये की नाम मात्र दर पर एक पट्टा संलेख किया गया है। प्राधिकरण के द्वारा 30 वर्ष की सम्पूर्ण लीज अवधि के लिए 30 रु की कुल राशि का भुगतान कर दिया गया है।

4. प्राधिकरण भवन का निर्माण

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा हरभजन इन्कलेव, नई दिल्ली के निकट मौजूद 10,480 वर्ग मी. भूमि पट्टे के आधार पर 30 वर्ष के लिए पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण को हस्तांतरित की गई है। सभी कोडल औपचारिकताएं पूरी होने के बाद प्राधिकरण ने भवन निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की है और आवश्यक अनापत्तियां प्राप्त कर ली हैं। परियोजना की लागत सह-स्वामियों के बीच परियोजना के पूरे होने के पश्चात् निर्मित क्षेत्र के अनुपात के अनुसार आबंटित की जाएगी। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने पौधा प्राधिकरण भवन निर्माण के लिए 1,27,38,82,365/—रु. की लागत स्वीकृत की है जिसका निर्माण कार्य अगस्त 2022 तक पूरा होने की आशा है। आज तक निर्माण संबंधी गतिविधियों के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शक मैसर्स उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (यूपीआरएनएनएल) को 1,15,27,35,849/—रु. की राशि (पिछले वर्ष 75,27,45,849/—रु. की राशि) अदा की जा चुकी है जिसके विरुद्ध 1,05,32,17,447/— रु. (पिछले वर्ष 29,87,75,146/—रु.) के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं और शेष 9,95,18,402/—रु. (पिछले वर्ष 45,39,70,703/—रु.) को लेखों में अग्रिम के रूप में दिखाया गया है। पौधा प्राधिकरण भवन के निर्माण पर व्यय की गई राशि को मैसर्स यूपीआरएनएन से प्राप्त उपयोग प्रमाण-पत्रों के आधार पर और प्राधिकरण द्वारा व्यय की गई राशि को चिन्हित/स्थायी निधि अनुसूची के अंतर्गत पूंजीगत व्यय में दर्शाया गया है

5. अचल सम्पत्तियां

31.03.2022 को सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन प्रबंधन द्वारा गठित एक दल द्वारा किया गया। यह रिपोर्ट किया गया है कि सम्पत्तियों की कोई कमी/बढ़ोतरी नहीं पाई गई है।

6. चालू सम्पत्तियां, ऋण तथा अग्रिम

(क) पूर्व अध्यक्ष के अंशदान भविष्य निधि के रूप में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार से प्राप्य 45,000/—रु. की राशि अग्रिम के रूप में दर्शायी गई है। मंत्रालय के अनुदेशों पर अध्यक्ष का अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) बंद कर दिया गया तथा इस राशि को प्राधिकरण द्वारा जमा करा दिया गया है और मंत्रालय से वापस लिया जाना है जिसके लिए मंत्रालय से अनुरोध किया गया है लेकिन वापसी की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) विद्यमान डीयूएस केन्द्रों (अनुबंध-ख), नए डीयूएस केन्द्रों (अनुबंध-ग) संदर्भ प्रयोगशालाओं (अनुबंध-घ), फील्ड जीन बैंकों (अनुबंध-ड.) और प्रशिक्षण केन्द्रों (अनुबंध-च) को दी गई अनुदान राशि में परिवर्तन इस प्रकार है:

31 मार्च 2022 को

(राशि रुपये में)

विवरण	विद्यमान डीयूएस केन्द्र	नए डीयूएस केन्द्र	संदर्भ प्रयोगशालाएं	फील्ड जीन बैंक	प्रशिक्षण केन्द्र
01 अप्रैल 2021 को प्रारंभिक शेष	7,20,79,232/-	3,41,05,563/-	49,714/-	2,45,364/-	3,04,58,018/-
जमा: वर्ष 2021-22 के दौरान जारी की गई	6,86,39,980 / -	2,27,33,907 / -	--	34,33,325 / -	80,000 / -
जमा: हस्तांतरण	--	--	--	--	--
जमा: प्राप्त ब्याज	82,332 / -	40,369 / -	--	--	--
घटाएं: प्राप्त उपयोग प्रमाण-पत्र	5,06,43,165 / -	1,74,57,218 / -	--	8,97,197 / -	5,80,000 / -
घटाएं: प्राप्त वापसी	--	93,836 / -	--	--	80,000 / -
31 मार्च 2022 को अंतिम शेष	9,01,58,378 / -	3,93,28,785 / -	49,714/-	27,81,492 / -	2,98,78,018 / -

31 मार्च 2021 को

(राशि रुपये में)

विवरण	विद्यमान डीयूएस केन्द्र	नए डीयूएस केन्द्र	संदर्भ प्रयोगशालाएं	फील्ड जीन बैंक	प्रशिक्षण केन्द्र
01 अप्रैल 2020 को प्रारंभिक शेष	5,06,74,911/-	2,92,25,805/-	4,93,541/-	41,83,448/-	3,22,25,998/-
जमा: वर्ष 2020-21 के दौरान जारी की गई	8,78,27,077/-	2,78,52,040/-	--	30,89,746/-	2,40,000/-
जमा: हस्तांतरण	6,073/-	--	--	--	22,026/-
जमा: प्राप्त ब्याज	1,20,426/-	89,990/-	--	--	--
घटाएं: प्राप्त उपयोग प्रमाण-पत्र	6,65,49,255/-	2,27,47,071/-	2,96,882/-	70,27,830/-	19,48,557/-
घटाएं: प्राप्त वापसी	-	3,15,201/-	1,46,945/-	--	81,449/-
31 मार्च 2021 को अंतिम शेष	7,20,79,232/-	3,41,05,563/-	49,714/-	2,45,364/-	3,04,58,018/-

घ. बकाया अग्रिम डीयूएस केन्द्र/परियोजना प्राधिकारियों द्वारा किए गए समायोजन और पुष्टि के अधीन हैं।

ड. विद्यमान डीयूएस केंद्रों, नए डीयूएस केंद्रों, फील्ड जीन बैंकों, संदर्भ प्रयोगशालाओं से वर्ष 2021-22 और उससे पहले की अवधि के लिए उपयोग प्रमाण-पत्रों की लंबित प्राप्तियों के लिए

4,22,52,118/—रु. का खातों में प्रावधान किया गया है (पिछले वर्ष 5,31,63,548/— रु.) वर्ष 2021-22 के लिए संस्थानों/संगठनों को दिए गए अनुदानों के प्रति व्यय के लिए। प्रशिक्षण केंद्रों के संबंध में वर्ष 2021-22 के दौरान 59,44,671/—रु. का प्रावधान वर्ष 2021-22 के दौरान वापस किया गया है (पिछले वर्ष 25,44,714/— रु. का प्रावधान किया गया था), संस्थानों/संगठन को दिए गए अनुदान के विरुद्ध खर्च के लिए 31 मार्च 2022 तक विद्यमान डीयूएस केंद्रों, नए डीयूएस केंद्रों, फील्ड जीन बैंकों और संदर्भ प्रयोगशालाओं के संबंध में कुल प्रावधान 11,34,55,494/— रु. (पिछले वर्ष 10,64,79,873 /—रु.) और प्रशिक्षण केंद्रों के लिए 2,39,02,414/— रु. (पिछले वर्ष 3,04,30,678/— रु.) है।

च. वार्षिक शुल्क को फसल किस्म के पंजीकरण की तिथि से एक वर्ष पूरा होने पर देय माना गया है। यदि पंजीकृत किस्म की वैधता की अवधि वार्षिक शुल्क की देय तिथि के पूर्व समाप्त हो जाती है तो उस वार्षिक शुल्क को प्राप्य नहीं माना गया है। इसके अतिरिक्त दिनांक 26 अगस्त 2009 राजपत्र अधिसूचना के अनुसार प्रजनकों या एजेंट और लाइसेंसी को पंजीकृत किस्म के बीजों की बिक्री मूल्य और रॉयल्टी का कुछ प्रतिशत अदा करना होता है। उन बचे हुए मामलों में जिनमें प्रजनकों या एजेंट या लाइसेंसी से उपलब्ध बिक्री राशि का विवरण प्राप्त नहीं हुआ था, बकाया राशि के लिए आय की गणना नहीं की गई है, जिसके लिए आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई प्रजनक, एजेंट या लाइसेंसी लगातार दो वर्षों तक शुल्क जमा कराने में असफल रहता है तो उसे नोटिस जारी करने की आवश्यकता होती है और नोटिस के निर्देश न पूरे किए जाने पर, सभी उपलब्ध सुरक्षाएं जब्त कर ली जाती हैं।

7. कर-निर्धारण

(क) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 की धारा 91 के अनुसार "प्राधिकरण को अपनी संपत्ति, आय, लाभ अथवा प्राप्तियों पर सम्पत्ति कर, आयकर या कोई अन्य कर नहीं देना है" अतः वर्तमान और आस्थगित आय कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

(ख) आयकर विभाग से पिछले वर्षों में स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) की वापसी के दावे की प्रक्रिया के लिए कार्रवाई आरंभ की गई है तथा इस संबंध में विभाग को पत्र भेजे गए हैं। आयकर विभाग ने प्राधिकरण को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 148 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आय विवरणी दाखिल करने का नोटिस भेजा है जिसे टीडीएस की वापसी के दावे के लिए दाखिल किया जा चुका है।

8. उच्चत

उच्चत का अंतिम शेष मुख्यालय तथा शाखावार निम्नानुसार है:

(राशि रुपये में)

मुख्यालय/शाखा कार्यालय	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
दिल्ली मुख्यालय	शून्य	शून्य
गुवाहाटी शाखा कार्यालय	शून्य	3,991/-
रांची शाखा कार्यालय	शून्य	1,268/-
शिवमोगा शाखा कार्यालय	शून्य	450/-
पालमपुर शाखा कार्यालय	841/—	शून्य
पुणे शाखा कार्यालय	शून्य	शून्य
कुल	841/—	5,709/-

9. सरकारी अनुदान

भारत के सनदी लेखाकारों के संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखा मानक (एएस-12) के अनुसार ह्यसमान परिसम्पत्तियों से संबंधित अनुदानों को आस्थगित आय के रूप में माना जाता है जिसे परिसम्पत्ति के उपयोगी जीवनकाल के दौरान आय और व्यय लेखे में मान्यता प्रदान की जाती है। तदनुसार भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों से वर्ष के दौरान खरीदी गई अचल सम्पत्तियों को कॉर्पस/पूंजी निधि के रूप में जोड़ा गया है जिसकी राशि 3,45,368/-रु. (पिछले वर्ष 7,11,209/-रु.) है और वर्ष के दौरान प्रभारित मूल्यह्रास 10,19,734/-रु. (पिछले वर्ष 9,38,582/-रु.) है जिसे कॉर्पस निधि से घटा दिया गया है और आस्थगित आय के रूप में आय और व्यय खाते के जमा में दिखाया गया है।

10. सेवानिवृत्ति लाभ

(क) ग्रेच्युटी : कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध कराई गई है जो कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा के कुल वर्षों पर निर्भर करती है तथापि, इसकी अधिकतम सीमा 20.00 लाख रुपये है। तुलन-पत्र में दर्शाई गई ग्रेच्युटी दायिता का सारांश इस प्रकार है:

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
क)	बाध्यता के वर्तमान मूल्य का आदि शेष	59,77,238/-	52,40,184/-
ख)	आय और व्यय लेखे में दिखाए गए व्यय	14,21,928 /-	7,37,054/-
ग)	भुगतान किए गए लाभ	—	—
घ)	बाध्यता के वर्तमान मूल्य का अंत शेष	73,99,166 /-	59,77,238/-

बीमांकिक अवधारणाएं

विवरण	2021-22	2020-21
प्रयुक्त विधि	परिवीक्षित इकाई जमा	परिवीक्षित इकाई जमा
छूट की दर	7.16%	6.80%
भावी वेतन वृद्धि	5.50%	5.50%

(ख) छुट्टी नकदीकरण : कर्मचारियों द्वारा अर्जित छुट्टी संबंधी देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है जो वर्ष के अंत में अर्जित की गई छुट्टी, नकदीकरण, ली गई छुट्टी, समाप्त हो गई छुट्टी तथा प्रतिपूरक अनुपस्थिति के आधार पर निश्चित होती है। ऐसा सेवा में रहते समय अथवा सेवा को छोड़ते समय निर्धारित किया जाता है जो प्राधिकरण के नियमों के अंतर्गत लेखा मानक संख्या-15 (संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित होता है।

प्रतिपूरित अनुपस्थिति सहित अर्जित की गई छुट्टी दायिता की संक्षिप्त स्थिति इस प्रकार है:

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
क.	बाध्यता के वर्तमान मूल्य का आदि शेष	73,73,551/-	66,03,042/-
ख)	आय और व्यय लेखे में दिखाए गए व्यय	18,98,654/-	8,71,012/-
ग)	भुगतान किए गए लाभ	--	(1,00,503/-)
घ)	बाध्यता के वर्तमान मूल्य का अंत शेष	92,72,205/-	73,73,551/-

बीमांकित अवधारणाएं

विवरण	2021-22	2020-21
प्रयुक्त विधि	परिवीक्षित इकाई जमा	परिवीक्षित इकाई जमा
छूट की दर	7.16%	6.80%
भावी वेतन वृद्धि	5.50%	5.50%

11. विदेशी मुद्रा लेन-देन

वर्ष के दौरान प्राधिकरण द्वारा 21,39,512/- रु. (76.49 रुपये की दर से 27,971.13 अमेरिकी डालर) की राशि विदेशी मुद्रा में प्रेषित की गई है।

12. पूर्वावधि समायोजन लेखा

विभिन्न डीयूएस केन्द्र, परियोजनाओं और प्रशिक्षण केन्द्रों को दिए गए अग्रिम का समायोजन वर्ष 2021-22 के लेखों को अंतिम रूप देने की तिथि तक प्राप्त हुए उपयोग प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया है। वर्ष 2020-21 या पूर्व अवधि से संबंधित, वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त किए गए प्रमाण पत्रों को प्रावधान के अंतर्गत समायोजित किया गया है और प्रावधान से अधिक हुए व्यय को पूर्वावधि व्यय के अंतर्गत लेखाकृत किया गया है। इसी प्रकार, गैर दायिता वाली पूर्व अवधि से संबंधित आय/व्यय के लिए संबंधित वर्षों में कोई दायिता सृजित नहीं की गई तथा इन्हें भी पूर्व अवधि समायोजन लेखे में लेखाकृत किया गया है।

13. लेखा नीतियों में परिवर्तन

वर्ष के दौरान प्राधिकरण ने लेखा नीतियों में कुछ परिवर्तन किए हैं जो इस प्रकार हैं:

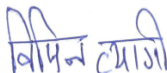
प्राधिकरण ने अपनी लेखा नीति संख्या 8 क) में संशोधन किया है, सरकारी अनुदानों/सब्सिडी पर अपनाई गई लेखांकन प्रथाओं के अनुरूप होने के लिए। इस परिवर्तन के अनुसार, मंत्रालय से अनुदान राशि के पुनर्वैधीकरण की प्राप्ति पर वर्ष 2021-22 के लिए 1,16,14,547/-रु. की राशि वापस अनुदान में जमा कर दी गई है और 20,79,288/- रु. की राशि वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों पर अर्जित ब्याज के प्रति 2022-23 के दौरान भारत की संचित निधि को भुगतान कर दी गई है।

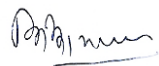
14. विद्यमान डीयूएस केन्द्रों/नए डीयूएस केन्द्रों/फील्ड जीनबैंकों/संदर्भ प्रयोगशालाओं तथा प्रशिक्षण केन्द्रों को शेष राशि की पुष्टि के लिए पत्र लिखे गए हैं और यह अनुरोध किया गया है कि वे शेष राशि की पुष्टि करें तथा असहमति के मामले में अपनी टिप्पणियां दें। कुछ मामलों में पुष्टि संबंधी पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। केन्द्रों द्वारा कोई कमी रिपोर्ट किए जाने पर लेखा बहियों में आवश्यक समायोजन किया गया है।

15. पुनः समूहीकरण/पुनः वर्गीकरण/राउंडिंग ऑफ/सामंजस्य

पिछले वर्ष के आँकड़ों को जहाँ आवश्यक समझा गया, पुनर्वर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

16. लेखा नीतियां और लेखा टिप्पणियां लेखों का अभिन्न अंग हैं।


विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार


दिनेश कुमार अग्रवाल,
महापंजीकार


के.वि. प्रभु
अध्यक्ष

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 11 जुलाई, 2022

अनुबंध-क

पूर्वावधि समायोजन लेखा

राशि रुपये में

क.सं.	लेखा शीर्ष	नामे	जमा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
	प्राधिकरण निधि				
1	प्रशासनिक व्यय	3,13,573	64,26,000	(61,12,427)	83,42,062
2	अचल सम्पत्ति	-	-	-	1,91,017
3	प्रशिक्षण व्यय	-	-	-	(27,340)
4	स्थापना व्यय	94,888	2,70,903	(1,76,015)	-
5	ब्याज	15,727	4,827	10,900	-
6	जीन निधि को अदा किया गया अनुदान	-	-	-	4,00,00,000
7	डीयूएस शुल्क आदि	72,000	-	72,000	-
	कुल	4,96,188	67,01,730	(62,05,542)	4,85,05,739

पूर्वावधि समायोजन लेखा

राशि रुपये में

क.सं.	लेखा शीर्ष	नामे	जमा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
	जीन निधि				
1	प्राधिकरण से प्राप्त अनुदान	-	-	-	(4,00,00,000)
2	वार्षिक/नवीकरण/पंजीकरण/डीयूएस शुल्क आदि	-	-	-	(15,43,083)
3	प्रशासनिक व्यय	40,000	-	40,000	45,000
	कुल	40,000	-	40,000	(4,14,98,083)


विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार


दिनेश कुमार अग्रवाल,
महापंजीकार


के.वि. प्रभु
अध्यक्ष

अनुबंध-ख

विद्यमान डीयूएस केन्द्रों के अंतर्गत संगठनों/केन्द्रों को उपलब्ध राशि का विवरण

राशि रुपये में										
क्र.सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	फसल	01-04-2021 को प्रारंभिक शेष	2020-21 के पूर्व किया गया व्यय	2020-21 को किया गया व्यय	अर्जित व्याज	2021-22 के दौरान जारी	2021-22 में उपलब्ध कुल निधि	2021-22 के दौरान व्यय	31-03-2022 को अंत शेष
1	डीटीआर एवं डीसीटीबी, कुर्सियोग	चाय	1,00,000	-	-	-	-	1,00,000	-	1,00,000
2	बीसीकेवी - बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी	कचालू और तारो	5,10,211	-	-	-	-	5,10,211	-	5,10,211
3	एनबीपीजीआर, आईसीएआर -यूनिट, क्षेत्रीय केन्द्र, शिमला	चौलाई	19,041	-	-	-	-	19,041	-	19,041
4	आनुवंशिकी संभाग, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली		35,026	-	-	-	-	35,026	-	35,026
5	जीबीपीयूए एवं टी - गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर	ज्वार	27,475	-	-	-	-	27,475	-	27,475
6	आईआईएचआर, आईसीएआर-यूनिट, बंगलुरु	रजनीगंधा, कार्नेशन	6,87,607	-	-	-	5,91,642	12,79,249	5,52,017	7,27,232
7	सीटीसीआरआई - केन्द्रीय कंदीय फसल अनुसंधान संस्थान, तिरुवनंतपुरम	शकरकंदी एवं कसावा	2,76,712	-	-	-	6,66,605	9,43,317	-	9,43,317
8	एनबीआरआई, आईसीएआर-यूनिट, लखनऊ	ग्लेडियोलस, बोगनविलिया और केली	8,22,024	-	-	13,041	-	8,35,065	5,11,888	3,23,177
9	एनएआरपी, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना, पुणे	चाइना ऐस्टर	1,00,000	-	-	-	-	1,00,000	-	1,00,000
10	डीएफआर (पुष्पविज्ञान अनुसंधान निदेशालय), भा.कृ.अ.सं. परिसर, नई दिल्ली	ग्लेडियोलस	2,31,192	-	-	-	4,68,606	6,99,798	5,54,019	1,45,779
11	बीसीकेवी (बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय), कल्याणी	परवल	3,42,370	-	-	-	6,90,604	10,32,974	3,14,069	7,18,905
12	पुष्पविज्ञान संभाग, भा.कृ.अ.सं., भा.कृ.अ.प. -यूनिट, नई दिल्ली	गुलाब और गुलदाउदी	1,24,295	-	-	-	-	1,24,295	-	1,24,295
13	आईआईएचआर, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, बंगलुरु	चमेली	9,42,182	-	-	-	3,93,063	13,35,245	6,44,157	6,91,088
14	जीन अभियान (कृषक किरमों का गुण निर्धारण), नई दिल्ली	-	1,40,000	-	-	-	-	1,40,000	-	1,40,000
15	ए एवं एफपी (कृषि एवं खाद्य उत्पादन), भवनेश्वर	चावल	1,50,003	-	-	-	-	1,50,003	-	1,50,003
16	सीआईएएच, बीकानेर	-	1,71,663	-	-	-	-	1,71,663	-	1,71,663
17	सीआईटीएच (केन्द्रीय उष्ण बागवानी संस्थान), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, श्रीनगर	आड़ू, आलुखारा, सेब, बादाम, नाशपाती, खुबानी व अखरोट	6,79,165	-	-	915	15,78,134	22,58,214	18,93,000	3,65,214

राशि रुपये में

क्र.सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	फसल	01-04-2021 को प्रारंभिक शेष	2020-21 के पूर्व किया गया व्यय	2020-21 को किया गया व्यय	अर्जित ब्याज	2021-22 के दौरान जारी	2021-22 में उपलब्ध कुल निधि	2021-22 के दौरान व्यय	31-03-2022 को अंत शेष
18	सीआईएसएच (केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, लखनऊ	आम	2,53,525	-	-	-	10,86,076	13,39,601	7,66,026	5,73,575
19	आरएआरआई, दुर्गापुर, जयपुर	जौ	11,28,481	-	-	-	8,86,796	20,15,277	-	20,15,277
20	यूपीएसआई, कोयम्बटूर	चाय	2,00,000	-	-	-	-	2,00,000	-	2,00,000
21	डीएफआर (पुष्पविज्ञान संभाग), आईएआरआई	रजनीगंधा	2,59,858	-	-	-	4,66,334	7,26,192	3,41,034	3,85,158
22	आईएआरआई, पुष्पविज्ञान संभाग, नई दिल्ली	बोगनविलिया	7,09,905	-	-	-	5,83,014	12,92,919	6,22,558	6,70,361
23	एमपीकेवी (महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय), राहुडी (पुणे केन्द्र)	चाइना ऐस्टर	4,75,000	-	4,54,392	-	5,74,392	5,95,000	-	5,95,000
24	पुष्पविज्ञान एवं भूदृश्यनिर्माण संभाग, आईएआरआई, नई दिल्ली	गुलाब और गुलदाउदी	1,06,836	-	-	-	-	1,06,836	-	1,06,836
25	आईआईएसआर, कोजिकोडे, भा.कृ.अ.प.-यूनिट	बीज मसाले	2,40,771	-	-	-	-	2,40,771	-	2,40,771
26	यूएस, बंगलौर	चावल	2,54,467	-	-	-	-	2,54,467	-	2,54,467
27	एसकेएनएयू, जोबनेर	जौ	85,554	-	-	-	-	85,554	-	85,554
28	जेएनकेवीवी, जबलपुर	दाल मटर, अलसी एवं मसूर	5,80,893	-	-	-	7,24,684	13,05,577	6,98,991	6,06,586
29	बीसीकेवी (बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय), कल्याणी	पान	3,65,240	-	-	-	2,04,760	5,70,000	-	5,70,000
30	आईजीकेवी, रायपुर	चावल	1,46,429	-	-	-	1,92,650	3,39,079	-	3,39,079
31	सीआईएमएपी (केन्द्रीय औषधीय एवं संगरोध पादप संस्थान), लखनऊ	औषधीय पौधे	17,50,047	-	-	-	4,23,442	21,73,489	19,53,301	2,20,188
32	सीएजेडआरआई, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, जोधपुर	अनार	1,58,111	-	-	-	-	1,58,111	-	1,58,111
33	सीआईएएच (केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, बीकानेर	बेर	1,64,529	-	-	-	5,47,471	7,12,000	5,76,376	1,35,624
34	एमपीयूए एवं टी	मक्का	3,00,000	-	-	-	-	3,00,000	-	3,00,000
35	पी एव एओ, कृषि महाविद्यालय, कोल्हापुर	मक्का	2,12,560	-	-	-	-	2,12,560	-	2,12,560
36	आईएआरआई, सब्जी विज्ञान संभाग, नई दिल्ली	लौकी, करेला, कद्दू व खीरा	82,103	-	-	-	5,70,259	6,52,362	6,52,362	-
37	एसएफआरआई (राज्य वानिकी अनुसंधान संस्थान), ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश	ऑर्किड	21,481	-	-	-	-	21,481	-	21,481

राशि रुपये में

क्र.सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	फसल	01-04-2021 को प्रारंभिक शेष	2020-21 के पूर्व किया गया व्यय	2020-21 को किया गया व्यय	अर्जित ब्याज	2021-22 के दौरान जारी	2021-22 में उपलब्ध कुल निधि	2021-22 के दौरान व्यय	31-03-2022 को अंत शेष
38	आईएआरआई, क्षेत्रीय केन्द्र, कटराई	बंदगोभी व फूलगोभी	2,03,593	-	-	-	5,36,407	7,40,000	95,957	6,44,043
39	आईआईएचआर, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, बंगलुरु	आम	8,75,000	-	-	-	5,68,779	14,43,779	-	14,43,779
40	एनआरसी, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, त्रिची	केला	2,39,234	-	-	-	4,23,716	6,62,950	6,05,789	57,161
41	टीआरए, टोकलाई	चाय	4,75,734	-	-	-	2,83,652	7,59,386	-	7,59,386
42	सीएआरआई, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, पोर्ट ब्लेयर	नोनी	6,34,115	-	4,36,305	-	4,36,305	6,34,115	5,74,250	59,865
43	टीएनएयू, कोयम्बतूर	गौण अनाज	10,84,001	-	-	-	10,27,044	21,11,045	-	21,11,045
44	एनबीपीजीआर, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, नई दिल्ली	दाना चौलाई	11,70,958	-	-	-	12,68,040	24,38,998	3,07,538	21,31,460
45	टीएनएयू, कोयम्बतूर	चमेली	5,50,125	-	-	-	-	5,50,125	-	5,50,125
46	डीजीआर (मूंगफली अनुसंधान निदेशालय), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, जुनागढ़	मूंगफली	2,58,183	-	-	-	2,49,477	5,07,660	3,15,840	1,91,820
47	सब्जी विज्ञान संभाग, आईएआरआई, नई दिल्ली	मिर्च	5,47,304	-	-	-	-	5,47,304	-	5,47,304
48	डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	ऑर्किड	2,32,948	-	-	-	-	2,32,948	-	2,32,948
49	आईआईवीआर (भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, वाराणसी	खीरा	4,98,218	-	-	-	-	4,98,218	-	4,98,218
50	जेएनकेवीवी, जबलपुर	तिल और रामतिल	2,66,099	-	-	-	4,62,752	7,28,851	-	7,28,851
51	आईआईएचआर, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, बंगलुरु	तरबूजा और खरबूजा	3,53,935	-	-	-	3,41,865	6,95,800	4,90,049	2,05,751
52	सीएसआरटीआई (केन्द्रीय रेशमकीट पालन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान), मैसूर	शहतूत	6,50,836	-	-	27,441	5,11,164	11,89,441	3,89,843	7,99,598
53	जेएनयू (जुनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय), जामनगर	अरण्ड	10,89,217	-	4,38,642	-	-	6,50,575	-	6,50,575
54	डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	पोंपलर जननद्रव्य	1,29,395	-	-	-	4,65,605	5,95,000	-	5,95,000
55	अंगारू (आचार्य एन जी रंगा कृषि विश्वविद्यालय), हैदराबाद	गौण अनाज	5,08,701	-	-	-	-	5,08,701	-	5,08,701
56	आईएफजीआईबी (राष्ट्रीय वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान), कोयम्बतूर	सफेदा एवं कैसुरीना	5,64,941	-	-	-	3,50,431	9,15,372	-	9,15,372
57	आईआईएचआर, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, बंगलुरु	चौलाई, पालक एवं नसदार तोरी	2,04,357	-	-	-	10,12,092	12,16,449	7,21,212	4,95,237

राशि रुपये में

क्र.सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	फसल	01-04-2021 को प्रारंभिक शेष	2020-21 के पूर्व किया गया व्यय	2020-21 को किया गया व्यय	अर्जित ब्याज	2021-22 के दौरान जारी	2021-22 में उपलब्ध कुल निधि	2021-22 के दौरान व्यय	31-03-2022 को अंत शेष
58	एनआरसीएसएस (राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केन्द्र), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, अजमेर	बीज मसाले	6,59,761	-	-	-	4,73,974	11,33,735	3,99,033	7,34,702
59	एएयू (असम कृषि विश्वविद्यालय), जोरहट	चावल	9,37,000	-	-	-	6,13,010	15,50,010	5,83,060	9,66,950
60	पुष्पविज्ञान एवं भूदृश्यनिर्माण संभाग, भा.कृ.अ.प.-यूनिट आईएआरआई, नई दिल्ली	गेंदा	3,39,997	-	-	-	3,55,803	6,95,800	6,69,075	26,725
61	पीवीकेएसएस (विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला), भा.कृ.अ.प.-यूनिट अल्मोड़ा	राजमा, सोयाबीन एवं मक्का	11,91,980	-	10,19,555	-	12,21,106	13,93,531	-	13,93,531
62	डीओजीआर (प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, राजगुरुनगर	प्याज एवं लहसुन	3,88,221	-	-	-	3,32,729	7,20,950	-	7,20,950
63	एनआरसी (राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केन्द्र), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, सिक्किम	ऑर्किड	8,50,000	-	-	-	-	8,50,000	2,42,581	6,07,419
64	एनआरसीपी, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, शोलापुर	अनार	4,35,372	-	-	-	7,76,628	12,12,000	6,26,386	5,85,614
65	सब्जी विज्ञान संभाग, आईएआरआई, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, नई दिल्ली	प्याज एवं लहसुन	3,77,329	-	-	-	3,26,557	7,03,886	7,01,660	2,226
66	आईआईएसआर (भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, लखनऊ	गन्ना	5,55,633	-	-	-	2,69,510	8,25,143	6,91,179	1,33,964
67	आईआईएचआर, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, बंगलुरु	पान	3,12,128	-	-	-	4,36,743	7,48,871	4,82,207	2,66,664
68	सीएसएयूए एवं टी (चन्द्र शेखर आज़ाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय), कानपुर	सरसों एवं गेहूँ	5,19,953	-	-	-	3,64,542	8,84,495	6,84,418	2,00,077
69	आईआईएसआर (भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, कालीकट	मसाले	14,83,900	7,50,355	3,63,208	-	6,03,968	9,74,305	-	9,74,305
70	डीएसआर (सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, इंदौर	सोयाबीन	3,56,844	-	-	-	4,59,385	8,16,229	-	8,16,229
71	आईआईपीआर (भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान), कानपुर	मूंग, उड़द, मसूर, राजमा व मटर	7,18,572	-	-	-	10,08,406	17,26,978	-	17,26,978
72	बीएसकेकेबी, दपोली	चावल	2,20,816	-	-	-	-	2,20,816	-	2,20,816
73	एनआरसी (राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, पुणे, महाराष्ट्र	अंगूर	2,14,133	-	-	-	10,57,147	12,71,280	6,86,900	5,84,380

राशि रुपये में

क.सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	फसल	01-04-2021 को प्रारंभिक शेष	2020-21 के पूर्व किया गया व्यय	2020-21 को किया गया व्यय	अर्जित ब्याज	2021-22 के दौरान जारी	2021-22 में उपलब्ध कुल निधि	2021-22 के दौरान व्यय	31-03-2022 को अंत शेष
74	आईएआरआई, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, क्षेत्रीय केन्द्र, करनाल	चावल	1,92,686	-	-	-	7,03,150	8,95,836	-	8,95,836
75	गन्ना प्रजनन संस्थान, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, कोयम्बतूर	गन्ना	5,84,557	-	-	-	11,74,453	17,59,010	14,23,780	3,35,230
76	आईजीकेवी, रायपुर	ग्री आउट परीक्षण (चावल)	5,88,396	-	-	-	5,73,824	11,62,220	-	11,62,220
77	गन्ना प्रजनन संस्थान, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, करनाल	गन्ना	4,83,770	-	-	-	-	4,83,770	-	4,83,770
78	आईआईडब्ल्यूबीआर, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, करनाल	जौ और गेहूँ	11,53,969	-	-	-	16,16,070	27,70,039	20,07,406	7,62,633
79	डीआरएमआर (तोरिया एवं सरसों अनुसंधान निदेशालय), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, भरतपुर	तोरिया और सरसों	13,49,996	-	-	-	-	13,49,996	-	13,49,996
80	आरएयू, बीकानेर - मंदौर एआईसीपीएमआईपी, जोधपुर	बाजरा	2,21,380	-	-	-	10,15,175	12,36,555	7,24,235	5,12,320
81	पीएयू (पंजाब कृषि विश्वविद्यालय), लुधियाना	जई, लोबिया, गिनी घास और कपास	11,10,340	-	7,97,085	-	7,33,725	10,46,980	-	10,46,980
82	केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, तिरुवनंतरपुरम	जीमीकंद, तारो, कचालू और ग्रेटर याम	13,88,875	-	4,42,941	-	6,36,313	15,82,247	8,87,266	6,94,981
83	सीआरआरआई (केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, कटक	चावल	9,97,240	-	-	-	8,55,401	18,52,641	-	18,52,641
84	एसडी कृषि विश्वविद्यालय, गुजरात	दालें	8,18,479	-	-	-	-	8,18,479	-	8,18,479
85	पीडीकेवी (पंजाब राव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय), अकोला	अरहर, चना, अरहर व कुसुम	2,76,594	-	-	-	11,28,315	14,04,909	-	14,04,909
86	सब्जी विज्ञान प्रभाग, आईएआरआई, नई दिल्ली	चौलाई, पालक, नसदार तोरी	8,52,404	-	-	-	5,88,250	14,40,654	5,67,399	8,73,255
87	केएयू (केरल कृषि विश्वविद्यालय), त्रिशूर	ऑर्किड	14,90,437	-	-	-	-	14,90,437	-	14,90,437
88	डीएमएपीआर (औषधीय एवं सगंधीय पौधा अनुसंधान निदेशालय), आनंद	औषधीय एवं सगंधीय पौधे	3,35,259	-	-	-	5,59,741	8,95,000	2,89,137	6,05,863
89	सीसीएसएचएयू (चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय), हिसार	कपास और चना	12,62,399	-	-	-	2,01,370	14,63,769	5,00,798	9,62,971
90	आईएआरआई, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, क्षेत्रीय केन्द्र, इंदौर	गेहूँ	50,539	-	-	-	5,77,574	6,28,113	-	6,28,113

राशि रुपये में

क्र.सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	फसल	01-04-2021 को प्रारंभिक शेष	2020-21 के पूर्व किया गया व्यय	2020-21 को किया गया व्यय	अर्जित ब्याज	2021-22 के दौरान जारी	2021-22 में उपलब्ध कुल निधि	2021-22 के दौरान व्यय	31-03-2022 को अंत शेष
91	सीपीआरआई (केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, शिमला	आलू	5,64,146	-	-	-	13,33,918	18,98,064	10,96,081	8,01,983
92	अंगारू (आचार्य एनजी रंगा कृषि विश्वविद्यालय), हैदराबाद	मक्का और उड़द	3,51,000	-	-	-	-	3,51,000	-	3,51,000
93	एनईएच, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, क्षेत्रीय केन्द्र, बड़ापानी, मणिपुर	चावल	10,92,532	-	5,62,420	-	12,81,040	18,11,152	-	18,11,152
94	सब्जी विज्ञान प्रभाग, आईएआरआई, नई दिल्ली	बंदगोभी और फूलगोभी	71,608	-	-	-	8,38,392	9,10,000	-	9,10,000
95	पीआईटीएसएच (प्रो. जय शंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय), हैदराबाद	मक्का	6,43,967	-	-	-	12,52,036	18,96,003	-	18,96,003
96	टीएनएस (तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय), कोयम्बतूर	चावल, सूरजमुखी और मूंगफली	12,94,264	-	4,49,420	40,935	1,15,116	10,00,895	4,84,875	5,16,020
97	सीटीसीआरआई (केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, क्षेत्रीय केन्द्र, भुवनेश्वर	शकरकंद और कसावा	14,36,350	-	-	-	4,11,325	18,47,675	4,13,207	14,34,468
98	आईआईएमआर, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, हैदराबाद	ज्वार	3,94,903	-	-	-	6,28,094	10,22,997	5,80,777	4,42,220
99	सीआरआईजेएफआर (केन्द्रीय पटसन एवं सम्बद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान), बैरकपुर और सीएसआरएस, बुदबुद	पटसन	12,24,500	-	10,39,767	-	15,56,887	17,41,620	-	17,41,620
100	एमपीकेवी, राहुरी	कपास	11,88,432	-	-	-	5,11,913	17,00,345	-	17,00,345
101	आईआईओआर, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, हैदराबाद	सूजरमुखी, अरण्ड और कुसुम	8,13,484	-	-	-	8,40,916	16,54,400	8,32,741	8,21,659
102	सीपीसीआरआई, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, केरल	नारियल	13,08,017	-	-	-	1,86,733	14,94,750	12,64,602	2,30,148
103	यूएएस, जीकेवीके, बंगलुरु	लघु मोटे अनाज	2,04,677	-	-	-	11,95,593	14,00,270	8,49,843	5,50,427
104	सीआईएसएच (केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, लखनऊ	अमरुद और लीची	3,16,431	-	-	-	11,82,807	14,99,238	6,81,895	8,17,343
105	आईआईपीआर (भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान), कानपुर	चना और अरहर	4,71,068	-	-	-	14,61,732	19,32,800	11,74,476	7,58,324
106	एमपीकेवी, राहुरी	ज्वार, बाजरा और चना	23,93,886	-	76,660	-	5,84,042	29,01,268	14,20,393	14,80,875

राशि रुपये में

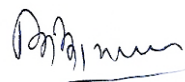
क.सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	फसल	01-04-2021 को प्रारंभिक शेष	2020-21 के पूर्व किया गया व्यय	2020-21 को किया गया व्यय	अर्जित ब्याज	2021-22 के दौरान जारी	2021-22 में उपलब्ध कुल निधि	2021-22 के दौरान व्यय	31-03-2022 को अंत शेष
107	आईआईएचआर, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, हैसरगट्टा, बंगलुरु	सब्जियाँ	2,00,811	-	-	-	29,21,589	31,22,400	23,94,681	7,27,719
108	यूएस (कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय), धारवाड	कपास, सोयाबीन, मूंगफली, ड्यूरम गेहूँ और तिल	11,97,788	-	-	-	13,49,817	25,47,605	6,38,562	19,09,043
109	आईआईएचआर (भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, बंगलुरु	गुलाब और गुलदाउदी	2,05,471	-	-	-	9,90,929	11,96,400	8,26,759	3,69,641
110	आईआईआरआर, हैदराबाद, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, हैदराबाद	चावल	13,80,084	-	-	-	13,46,021	27,26,105	-	27,26,105
111	आईआईएमआर, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, नई दिल्ली	मक्का	20,53,407	-	-	-	13,74,383	34,27,790	-	34,27,790
112	सीआईसीआर, कोयम्बतूर	कपास	-	-	-	-	-	-	-	-
113	सीआईसीआर (केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, नागपुर	कपास	6,10,747	-	-	-	11,21,643	17,32,390	-	17,32,390
114	आईआईवीआर (भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, वाराणसी	भिण्डी, बैंगन, टमाटर, बंदगोभी और फूलगोभी आदि	2,84,044	-	-	-	18,98,581	21,82,625	21,80,978	1,647
115	एनआरसीसी, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, नागपुर	सिट्रस, खट्टा, मौसम्बी और मेंडारिन	4,17,980	-	-	-	1,09,988	5,27,968	5,27,968	-
116	आईआईएचआर, बंगलुरु (गुलदाउदी)	गुलदाउदी	8,34,026	-	-	-	3,85,338	12,19,364	-	12,19,364
117	आईएआरआई, नई दिल्ली	गुलदाउदी	11,65,000	-	-	-	2,32,529	13,97,529	5,18,722	8,78,807
118	आईआईवीआर (भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान), वाराणसी	परवल	4,25,000.00	-	-	-	-	4,25,000	-	4,25,000
119	आईआईएचआर, बंगलुरु (क्रॉसेण्ड्रा)	क्रॉसेण्ड्रा	3,50,000	-	-	-	2,08,048	5,58,048	3,91,830	1,66,218
120	अंगारू, गुंटूर	मेस्ता और रोजेले	7,50,000	-	-	-	-	7,50,000	-	7,50,000
121	डॉ. वाई एस आर बागवानी विश्वविद्यालय, गुंटूर, आंध्र प्रदेश	मिर्च और पैपरिका	10,00,000	-	3,53,484	-	5,53,484	12,00,000	-	12,00,000
122	डॉ. वाई.एस.एस. बागवानी विश्वविद्यालय, गुंटूर, आंध्र प्रदेश	क्रॉसेण्ड्रा	4,25,000	-	-	-	-	4,25,000	-	4,25,000
123	सीएसकेएचपीकेवी, पालमपुर	मिर्च, पैपरिका और शिमला मिर्च	9,00,000	-	-	-	-	9,00,000	6,21,661	2,78,339
124	यूएचएस, बागलकोट	मिर्च, पैपरिका और शिमला मिर्च	-	-	-	-	5,00,000	5,00,000	2,85,510	2,14,490
125	एसडीएयू, एसके नगर, गुजरात	दाना चौलाई	-	-	-	-	6,45,000	6,45,000	-	6,45,000

राशि रुपये में

क.सं.	डीयूस केन्द्र का नाम	फसल	01-04-2021 को प्रारंभिक शेष	2020-21 के पूर्व किया गया व्यय	2020-21 को किया गया व्यय	अर्जित ब्याज	2021-22 के दौरान जारी	2021-22 में उपलब्ध कुल निधि	2021-22 के दौरान व्यय	31-03-2022 को अंत शेष
126	पीडीकेवी (पंजाब राव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय), अकोला सहयोग केंद्र	मूंग	-	-	-	-	8,00,000	8,00,000	-	8,00,000
127	सीएसकेएचपीकेवी, पालमपुर	कुट्टु	-	-	-	-	6,45,000	6,45,000	-	6,45,000
128	सीएसएयूए एवं टी (चन्द्र शेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय), कानपुर	अलसी	-	-	-	-	7,00,000	7,00,000	-	7,00,000
129	सीआईसीआर, कोयम्बतूर	कपास	-	-	-	-	11,64,696	11,64,696	-	11,64,696
130	सीआईएच बीकानेर	तरबूजा और खरबूजा	-	-	-	-	10,63,660	10,63,660	5,26,574	5,37,086
कुल			7,20,79,232	7,50,355	64,33,879	82,332	6,86,39,980	13,36,17,309	4,34,58,931	9,01,58,378



विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार



दिनेश कुमार
अग्रवाल, महापंजीकार



के.वि. प्रभु
अध्यक्ष

अनुबंध-ग

नए डीयूएस केन्द्रों के अंतर्गत संगठनों/केन्द्रों को उपलब्ध राशि का विवरण

क.सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	फसल	01-04-2021 को प्रारंभिक शेष	2020-21 के पूर्व किया गया	2020-21 को किया गया व्यय	अर्जित ब्याज	2021-22 के दौरान जारी	2021-22 में उपलब्ध कुल निधि	वापसी 2021-22	2021-22 के दौरान व्यय	राशि रुपये में 31-03-2022 को अंत शेष
1	आईआईएचआर, भा.कृ.अ.प. -इकाई, बंगलुरु	पपीता और शरीफा	8,49,608	-	3,05,145	-	3,05,145	8,49,608	-	-	8,49,608
2	पीएयू (कृषक जागरूकता)	गिनी घास	7,350	-	-	-	-	7,350	-	-	7,350
3	एचएफआरआई, शिमला	शंकु वृक्ष	28,563	-	-	-	-	28,563	-	-	28,563
4	जेएनकेवीवी (जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय), जबलपुर	लघु मोटे अनाज	38,399	-	-	-	-	38,399	-	-	38,399
5	डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	कार्नेशन	4,16,594	-	3,00,615	1,538	5,25,000	6,42,517	-	-	6,42,517
6	आईआईएचआर, भा.कृ.अ.प. -इकाई, बंगलुरु	चाइना ऐस्टर	2,10,500	-	-	-	4,17,166	6,27,666	-	-	6,27,666
7	गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर	जई और लोबिया	80,476	-	-	-	-	80,476	-	-	80,476
8	आईजीएफआरआई, भा.कृ.अ.प. -इकाई, झांसी	जई, गिनी घास	1,33,240	-	-	-	-	1,33,240	-	-	1,33,240
9	टीएनएयू, कोयम्बतूर	पपीता और शरीफा	2,18,997	-	-	-	2,50,839	4,69,836	-	-	4,69,836
10	यूएचएस, बागलकोट	मोरिंगा ओलिफेरा लैम	2,21,847	-	-	-	4,28,153	6,50,000	-	3,40,277	3,09,723
11	आईएफजीटीबी, कोयम्बतूर	टैक्टोनिया ग्रेंडिस	7,67,863	-	-	10,416	5,61,622	13,39,901	-	5,81,065	7,58,836
12	सीआईएच, भा.कृ.अ.प.-इकाई, बीकानेर	आंवला	2,42,718	-	-	-	-	2,42,718	-	-	2,42,718
13	सीआईएच, भा.कृ.अ.प.-इकाई, बीकानेर	चिरौजी और इमली	4,304	-	-	-	8,90,696	8,95,000	-	-	8,95,000

राशि रुपये में

क्र.सं.	डीयूस केन्द्र का नाम	फसल	01-04-2021 को प्रारंभिक शेष	2020-21 के पूर्व किया गया	2020-21 को किया गया व्यय	अर्जित ब्याज	2021-22 के दौरान जारी	2021-22 में उपलब्ध कुल निधि	वापसी 2021-22	2021-22 के दौरान व्यय	31-03-2022 को अंत शेष
14	सीआईएसएच, भा.कृ.अ.प. —इकाई, लखनऊ	बेल	3,70,615	-	-	-	2,91,385	6,62,000	-	6,29,475	32,525
15	सीआईएसएच, भा.कृ.अ.प.—इकाई, बीकानेर	बेल	2,74,355	-	-	-	3,20,912	5,95,267	-	-	5,95,267
16	एनआरसी, पुत्र, भा.कृ.अ.प. —इकाई, काजू	काजू	1,55,795	-	-	-	5,59,205	7,15,000	-	4,51,392	2,63,608
17	टीएनएयू, कोयम्बतूर	नीम, करंज और रतनजोत	4,70,000	-	-	-	3,80,668	8,50,668	-	-	8,50,668
18	एसडीएयू, एसके नगर, मुंद्रा, गुजरात	खजूर	4,00,000	-	-	-	-	4,00,000	-	-	4,00,000
19	डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	विलो (सैलिक्स जाति)	2,12,578	-	-	-	3,97,422	6,10,000	-	-	6,10,000
20	आईआईएचआर, भा.कृ.अ.प. —इकाई, बंगलुरु	गेंदा	11,04,184	-	7,61,176	-	9,95,429	13,38,437	-	6,89,209	6,49,228
21	सीपीसीआरआई, भा.कृ.अ.प. —इकाई	कोको	34,652	-	-	-	-	34,652	-	-	34,652
22	एनआरसीएसएस, अजमेर	अजवाइन, दिल, नाइजेला, अजमोद और एनीसे	8,00,000	-	-	-	-	8,00,000	-	-	8,00,000
23	डॉ. वाई एस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	लिलियम जाति, ओरियंटल, एसियाटिक, एलए और ओटी शंकर	7,00,914	-	2,04,110	6,282	-	5,03,086	-	-	5,03,086
24	आईएफजीटीबी, कोयम्बतूर	एलिंथस	51,078	-	-	-	-	51,078	-	-	51,078
25	आईएफजीटीबी, कोयम्बतूर	रेड सैंडल और भारतीय चंदन	51,533	-	-	-	-	51,533	-	-	51,533
26	आईआईएचआर, भा.कृ.अ.प. —इकाई, बंगलुरु	जरबेरा	3,25,000	-	-	-	-	3,25,000	-	-	3,25,000
27	सीटीआरआई, भा.कृ.अ.प. —इकाई, राजामुंदरी	पलू क्योर्ड वर्जिनिया और बीडी	9,00,000	-	-	-	-	9,00,000	-	-	9,00,000

राशि रुपये में

क्र.सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	फसल	01-04-2021 को प्रारंभिक शेष	2020-21 के पूर्व किया गया	2020-21 को किया गया व्यय	अर्जित ब्याज	2021-22 के दौरान जारी	2021-22 में उपलब्ध कुल निधि	वापसी 2021-22	2021-22 के दौरान व्यय	31-03-2022 को अंत शेष
28	केन्द्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान, कर्नाटक	कॉफी	11,260	-	-	-	-	11,260	-	-	11,260
29	यूएस, धारवाड़	लोबिया	15,916	-	-	-	7,00,000	7,15,916	-	1,11,629	6,04,287
30	सीपीसीआरआई, कर्नाटक	सुपारी	2,36,352	9,86,747	-	-	14,50,395	7,00,000	-	-	7,00,000
31	सीआईएच, भा.कृ.अ.प.-इकाई, बीकानेर	खजूर	2,34,316	-	-	-	3,60,684	5,95,000	-	-	5,95,000
32	सीआईएच (केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान), भा.कृ.अ.प.-इकाई, बीकानेर	जामुन	3,10,048	-	-	-	1,65,316	4,75,364	-	-	4,75,364
33	एनईएच क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर, बड़ापानी	अरबी	4,93,446	-	-	-	-	4,93,446	-	-	4,93,446
34	डॉ. वाई एस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	सीबकथॉर्म	15,426	-	-	-	5,79,574	5,95,000	-	-	5,95,000
35	सीआईएसएच (केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान), भा.कृ.अ.प.-इकाई, लखनऊ	आंवला	2,07,112	-	-	-	9,64,222	11,71,334	-	6,15,878	5,55,456
36	सीआईएसएच (केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान), भा.कृ.अ.प.-इकाई, लखनऊ	जामुन	4,95,221	-	-	-	1,32,645	6,27,866	-	3,01,556	3,26,310
37	सीएआरआई, भा.कृ.अ.प.-इकाई, पोर्ट ब्लेयर	मूंग, उड़द, लोबिया, अरहर	6,18,535	-	-	-	-	6,18,535	-	-	6,18,535
38	डॉ. बी.एस. कोंकण कृषि विश्वविद्यालय, दापोली	जायफल	2,70,826	-	-	-	3,57,774	6,28,600	-	4,06,207	2,22,393
39	यूएस, धारवाड़	कुलथी, मोथ, ग्वार और चटरी	4,49,000	-	-	-	-	4,49,000	-	-	4,49,000
40	आईएआरआई, सब्जी विज्ञान संभाग, भा.कृ.अ.प.-इकाई, नई दिल्ली	मूली और गाजर	13,642	-	-	-	-	13,642	-	-	13,642
41	आईएआरआई, फल एवं बागवानी संभाग, भा.कृ.अ.प.-इकाई, नई दिल्ली	नींबू और प्यूमेलो	3,50,000	-	-	-	-	3,50,000	-	-	3,50,000

राशि रुपये में

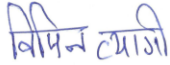
क्र.सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	फसल	01-04-2021 को प्रारंभिक शेष	2020-21 के पूर्व किया गया	2020-21 को किया गया व्यय	अर्जित ब्याज	2021-22 के दौरान जारी	2021-22 में उपलब्ध कुल निधि	वापसी 2021-22	2021-22 के दौरान व्यय	31-03-2022 को अंत शेष
42	आईआईएचआर, भा.कृ.अ.प. -इकाई, बंगलुरु	—	2,16,830	-	-	-	-	2,16,830	-	-	2,16,830
43	एनईएच क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ. प. अनुसंधान परिसर, उमियम	कटहल	4,74,218	-	-	-	-	4,74,218	-	1,45,534	3,28,684
44	एसएसएसआरडी, नागालैंड विश्वविद्यालय	चाउचाउ	2,05,000	-	-	-	-	2,05,000	-	-	2,05,000
45	यूएस, जीकेवीके, बंगलुरु	कटहल	7,00,000	-	6,55,580	-	8,38,020	8,82,440	-	-	8,82,440
46	आईएआरआई, नई दिल्ली (ब्रोकोली)	ब्रोकोली	1,90,237	-	-	-	-	1,90,237	-	-	1,90,237
47	बीएसकेकेवी, दापोली	कोकम	1,80,346	-	-	-	-	1,80,346	-	42,374	1,37,972
48	यूएस, धारवाड़	जननद्रव्य, रोजेले ऑफ मेस्ता	2,23,592	-	-	-	-	2,23,592	-	-	2,23,592
49	सीआईटीएच, श्रीनगर (जैतून)	जैतून	4,33,110	-	-	-	-	4,33,110	-	4,33,110	-
50	एनईआईएसटी, जोरहाट	नींबू घास	1,00,000	-	-	-	-	1,00,000	-	-	1,00,000
51	आईएआरआई, क्षेत्रीय केन्द्र, कटराई, कुल्लू घाटी	मूली और गाजर	55	-	-	-	-	55	-	-	55
52	भा.कृ.अ.प.- एनईएच, क्षेत्रीय केन्द्र, उमियम, मेघालय	नींबू और प्यूमेलो	1,03,810	-	-	-	-	1,03,810	-	-	1,03,810
53	एसकेएसएसटी-के, श्रीनगर (केसर)	केसर	7,34,800	-	6,47,428	6,464	9,00,000	9,93,836	93,836	-	9,00,000
54	डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन (क्षेत्रीय केन्द्र, सिमौर)	दहेलिया	4,66,000	-	4,66,000	-	-	-	-	-	-
55	यूएस, धारवाड़	(नए बीज बैंक की स्थापना)	1,24,154	-	-	-	-	1,24,154	-	-	1,24,154
56	कृषि महाविद्यालय, विजयपुर, कर्नाटक	(नए बीज बैंक की स्थापना) (रबी, ज्वार, गेहूं और अरहर)	2,46,577	-	-	-	-	2,46,577	-	-	2,46,577
57	बीएसकेकेवी, दापोली, महाराष्ट्र	नए बीज बैंक की स्थापना	9,00,000	-	-	-	-	9,00,000	-	-	9,00,000
58	बीएयू, सबौर, भागलपुर	नए बीज बैंक की स्थापना (अनाज, दालें और सब्जियाँ)	2,84,982	-	-	-	-	2,84,982	-	-	2,84,982

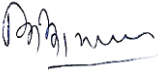
राशि रुपये में

क.सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	फसल	01-04-2021 को प्रारंभिक शेष	2020-21 के पूर्व किया गया	2020-21 को किया गया व्यय	अर्जित ब्याज	2021-22 के दौरान जारी	2021-22 में उपलब्ध कुल निधि	वापसी 2021-22	2021-22 के दौरान व्यय	31-03-2022 को अंत शेष
59	एनडीयूए और टी, कुमारगंज, फैजाबाद	नए बीज बैंक की स्थापना (किसानों के खेत में उगाए गए गौण बीज मसाले)	72,634	-	-	-	-	72,634	-	-	72,634
60	यूएचएस, शिवमोगा, कर्नाटक	नए बीज बैंक की स्थापना	9,00,000	-	-	-	-	9,00,000	-	-	9,00,000
61	यूएचएस, शिवमोगा	एंथूरियम	1,33,563	-	-	-	7,66,437	9,00,000	-	7,22,272	1,77,728
62	आईआईएचआर, बंगलुरु	सेम	16,691	-	-	-	3,83,125	3,99,816	-	-	3,99,816
63	एसकेयूएसटी, श्रीनगर	काला जीरा	9,00,000	-	-	-	-	9,00,000	-	-	9,00,000
64	एचआरसी, त्रिपुरा	केला	4,80,000	-	-	-	-	4,80,000	-	-	4,80,000
65	एनईएच क्षेत्र, बड़ापानी, नागालैंड	जीमीकंद और तारो	2,00,000	-	-	-	-	2,00,000	-	-	2,00,000
66	बीसीकेवी, कल्याणी	दहेलिया और हिबिसकस	1,85,098	-	-	-	7,14,902	9,00,000	-	-	9,00,000
67	एसीएचएफ, एनएयू, नवसारी, गुजरात	सफेदा और यूरोफाइला	5,36,407	-	-	-	6,88,713	12,25,120	-	1,37,438	10,87,682
68	डीएफआर, भा.कृ.अ.प.-इकाई, पुणे	गुलाब	13,13,058	-	-	-	-	13,13,058	-	11,43,374	1,69,684
69	सीआरआईजेएफ, बैरकपुर	मेस्ता और रोजेले	8,00,000	-	-	-	-	8,00,000	-	-	8,00,000
70	आईआईएचआर, बंगलुरु	चीकू	9,00,000	-	-	-	-	9,00,000	-	-	9,00,000
71	आईआईओआर, हैदराबाद	रामतिल	9,00,000	-	2,02,541	-	2,02,541	9,00,000	-	8,64,885	35,115
72	टीएमएयू, कोयम्बतूर	उड़द	10,00,000	-	4,84,618	-	2,17,418	7,32,800	-	-	7,32,800
73	आईएआरआई, नई दिल्ली (चिकनी तोरी)	चिकनी तोरी	7,02,138	-	-	-	1,97,862	9,00,000	-	7,15,749	1,84,251
74	आईआईवीआर, वाराणसी	चिकनी तोरी	9,00,000	-	90,000	-	90,000	9,00,000	-	5,60,357	3,39,643
75	एनएयू (नवसारी कृषि विश्वविद्यालय), गुजरात	चीकू	9,00,000	-	-	-	-	9,00,000	-	3,06,773	5,93,227
76	एसकेयूएसटी, कश्मीर	गांठ-गोभी	9,00,000	-	-	15,669	-	9,15,669	-	6,85,024	2,30,645
77	सीआईटीएच, श्रीनगर	सब्जी केली	9,00,000	-	-	-	-	9,00,000	-	5,62,726	3,37,274
78	यूएस - जीकेवीके, बंगलुरु	ब्राउन टॉक मिलेट	9,00,000	-	-	-	-	9,00,000	-	8,35,193	64,807
79	आईएआरआई, नई दिल्ली	सलाद	9,00,000	-	-	-	-	9,00,000	-	2,83,342	6,16,658
80	सीएसकेएचपीकेवी, पालमपुर	दाना चौलाई और कुटु	6,45,000	-	-	-	-	6,45,000	-	-	6,45,000
81	एसडीएयू, एसके नगर, गुजरात	दाना चौलाई और कुटु	6,45,000	-	-	-	-	6,45,000	-	-	6,45,000

राशि रुपये में

क.सं.	डीयूस केन्द्र का नाम	फसल	01-04-2021 को प्रारंभिक शेष	2020-21 के पूर्व किया गया	2020-21 को किया गया व्यय	अर्जित ब्याज	2021-22 के दौरान जारी	2021-22 में उपलब्ध कुल निधि	वापसी 2021-22	2021-22 के दौरान व्यय	31-03-2022 को अंत शेष
82	सीआईएमपी (केन्द्रीय औषधीय एवं संगरोध पादप संस्थान), लखनऊ	अश्वगंधा	-	-	-	-	12,90,637	12,90,637	-	-	12,90,637
83	एसकेयूएसटी, कश्मीर श्रीनगर	प्याज	-	-	-	-	9,00,000	9,00,000	-	-	9,00,000
84	एसकेयूएसटी, कश्मीर श्रीनगर	राजमा	-	-	-	-	9,00,000	9,00,000	-	-	9,00,000
85	एसकेयूएसटी, कश्मीर श्रीनगर	शलजम	-	-	-	-	9,00,000	9,00,000	-	-	9,00,000
86	आईआईएचआर, बंगलुरु	गाजर	-	-	-	-	3,00,000	3,00,000	-	1,78,419	1,21,581
87	आईआईएचआर, बंगलुरु	करी पत्ते	-	-	-	-	9,00,000	9,00,000	-	-	9,00,000
88	राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर	अमरुद और लीची	-	-	-	-	6,10,000	6,10,000	-	6,10,000	-
89	यूएस, जीकेवीके, बंगलुरु	मिर्च, पैपरिका और शिमला मिर्च	-	-	-	-	9,00,000	9,00,000	-	-	9,00,000
कुल			3,41,05,563	9,86,747	41,17,213	40,369	2,27,33,907	5,17,75,879	93,836	1,23,53,258	3,93,28,785


विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार


दिनेश कुमार अग्रवाल,
महापंजीकार

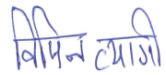

के.वि. प्रभु
अध्यक्ष

अनुबंध-घ

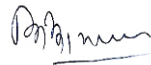
संदर्भित प्रयोगशालाओं के अंतर्गत संगठनों/केन्द्रों को उपलब्ध राशि का विवरण

राशि रुपये में

क.सं.	केन्द्र का नाम	01-04-2021 को आरंभिक शेष	पूर्व किया गया व्यय 2020-21	2020-21 से संबंधित व्यय	हस्तांतरण आंतरिक/बाह्य	2021-22 के दौरान जारी	वापसी	2021-22 के दौरान व्यय	31-03-2022 को अंतिम शेष
1.	सीआरआरआई, कटक	49,714	-	-			-	-	49,714
	कुल	49,714	-	-		-	-	-	49,714



विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार



दिनेश कुमार अग्रवाल,
महापंजीकार



के.वि. प्रभु
अध्यक्ष

अनुबंध-ड.

फील्ड जीन बैंक के अंतर्गत संगठनों/केन्द्रों के पास उपलब्ध राशि का विवरण

राशि रुपये में

क.सं.	केन्द्र का नाम	01-04-2021 को आदि शेष	2020-21 के पूर्व किया गया व्यय	2020-21 को व्यय	हस्तांतरण आंतरिक/ बाह्य	2021-22 को जारी	2021-22 के दौरान उपलब्ध कुल निधि	वापसी	2021-22 के दौरान व्यय	31-03-2022 को अंतिम शेष
1	डॉ. बालासाहेब कोंकण कृषि विद्यापीठ, दापोली	87,918	-	-	-	8,49,082	9,37,000	-	8,97,197	39,803
2	एनबीपीजीआर, नई दिल्ली	1,57,446	-	-	-	15,88,362	17,45,808	-	-	17,45,808
3	डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	-	-	-	-	9,95,881	9,95,881	-	-	9,95,881
कुल		2,45,364	-	-	-	34,33,325	36,78,689	-	8,97,197	27,81,492

विपिन त्यागी

विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार

दिनेश कुमार अग्रवाल

दिनेश कुमार अग्रवाल,
महापंजीकार

के.वि. प्रभु

के.वि. प्रभु
अध्यक्ष

अनुबंध-च

प्रशिक्षण एवं जागरूकता के लिए संगठन/केन्द्रों को अनुदान का विवरण

राशि रुपये में									
क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	01-04-2021 को आदि शेष	2020-21 के पूर्व किया गया व्यय	2020-21 को व्यय	2021-22 को जारी	2021-22 के दौरान उपलब्ध कुल निधि	वापसी	2021-22 के दौरान व्यय	31-03-2022 को अंतिम शेष
1	आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय, अंगारु, रेडडीपल्ली, खम्मम, गैरिकापाडु, नेल्लोर, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, वारंगल	8,00,000	-	-	-	8,00,000	-	-	8,00,000
2	अपर निदेशक-एफसी, कृषि विभाग, सिक्किम 136/15	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
3	आनंद कृषि विश्वविद्यालय, आनंद (136/15)	2,41,819	-	-	-	2,41,819	-	-	2,41,819
4	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट (एएयू)	1,25,000	-	-	80,000	2,05,000	-	-	2,05,000
5	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (136/15)(बीएचयू),मिर्जापुर	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
6	बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी (बीसीकेवी)	1,270	-	-	-	1,270	-	-	1,270
7	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची (बीएयू)	99,417	-	-	-	99,417	-	-	99,417
8	केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर (सीएआरआई)	1,85,192	-	-	-	1,85,192	-	-	1,85,192
9	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, मणिपुर (सीएयू)	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
10	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल 136/15	1,60,000	-	-	-	1,60,000	-	-	1,60,000
11	केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, कोयम्बतूर (सीआईसीआर)	39,600	-	-	-	39,600	-	-	39,600
12	केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर (सीआईसीआर)	1,79,000	-	-	-	1,79,000	-	-	1,79,000
13	सीईओ ग्रामीण विकास ट्रस्ट, नोएडा 136/15	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
14	बीएसकेकेवी दापोली (136/15)	34,142	-	-	-	34,142	-	-	34,142
15	चौधरी एसएसके विश्वविद्यालय, पालमपुर 136/15 (कुल्लू, कांगड़ा, सिमौर, बिलासपुर)	2,05,073	-	-	-	2,05,073	-	-	2,05,073
16	गुजरात विद्यापीठ,अहमदाबाद 136/15	1,14,701	-	-	-	1,14,701	-	-	1,14,701
17	आरएयू, बीकानेर 136/15	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
18	एसकेयूएसटी, राजौरी, जम्मू	2,79,976	-	-	-	2,79,976	-	-	2,79,976
19	वीएनकएमकेवी, महाराष्ट्र	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
20	सीकेवी, छत्तीसगढ़ 136/15	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000

प्रशिक्षण एवं जागरूकता के लिए संगठन/केन्द्रों को अनुदान का विवरण

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	राशि रुपये में							
		01-04-2021 को आदि शेष	2020-21 के पूर्व किया गया व्यय	2020-21 को व्यय	2021-22 को जारी	2021-22 के दौरान उपलब्ध कुल निधि	वापसी	2021-22 के दौरान व्यय	31-03-2022 को अंतिम शेष
21	आईजेकेवीवी, राजपुर, 136/15	2,98,940	-	-	-	2,98,940	-	-	2,98,940
22	जेएनकेवीवी, जबलपुर, 136/15	1,80,875	-	-	-	1,80,875	-	-	1,80,875
23	केवीए एवं एफएसयू, बिंदर	80,746	-	-	-	80,746	-	-	80,746
24	एमपीयूए एवं टी, उदयपुर	2,23,153	-	-	-	2,23,153	-	-	2,23,153
25	एसवीपीयूए एवं टी, मेरठ	5,14,653	-	-	-	5,14,653	-	-	5,14,653
26	एसडीएयू, गुजरात, 136/15	54	-	-	-	54	-	-	54
27	शेर-ए-कश्मीर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर	12,66,421	-	-	-	12,66,421	-	-	12,66,421
28	यूएएस, रांयचुर	7,20,590	-	-	-	7,20,590	-	-	7,20,590
29	वीबीयू, पश्चिम बंगाल, 136/15	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
30	एसकेआरएयू, बीकानेर, अलवर	3,26,949	-	-	-	3,26,949	-	-	3,26,949
31	सीआरआईजेएफ, बैरकपुर	1,250	-	-	-	1,250	-	-	1,250
32	सीएसएयू एवं टी, कानपुर	3,20,043	-	-	-	3,20,043	-	-	3,20,043
33	दीनदयाल अनुसंधान संस्थान, मझगवान, सतना	1,02,356	-	-	-	1,02,356	-	-	1,02,356
34	कृषि निदेशालय, मेघालय, 136/15	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
35	सीपीआरआई, शिमला- मोदीपुरम, शिमला	1,19,093	-	-	-	1,19,093	-	-	1,19,093
36	डीएसआर इंदौर - 136/15	16,423	-	-	-	16,423	-	-	16,423
37	राष्ट्रीय कृषिवानिकी अनुसंधान केन्द्र, झांसी 136/15	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
38	राष्ट्रीय केला अनुसंधान केन्द्र, त्रिची - 136/14	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
39	राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र - 136/15	13,076	-	-	-	13,076	-	-	13,076
40	वीपीकेएस अल्मोड़ा	1,16,069	-	-	-	1,16,069	-	-	1,16,069
41	काजू अनुसंधान निदेशालय, दक्षिण कन्नड़	1,80,000	-	-	-	1,80,000	-	-	1,80,000
42	काजरी, जोधपुर	1,85,961	-	-	-	1,85,961	-	-	1,85,961
43	सीआईएच, बीकानेर, पंचमहल	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
44	सीआईएसएच, लखनऊ	4,78,716	-	-	-	4,78,716	-	-	4,78,716
45	सीआईटीएच, श्रीनगर	3,20,000	-	-	-	3,20,000	-	-	3,20,000
46	सीएमएफआरआई, कोच्चि, केरल	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
47	सीटीसीआरआई त्रिवेन्द्रम	4,00,000	-	-	-	4,00,000	-	-	4,00,000
48	कृषि विभाग, मिजोरम - 136/15	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000

प्रशिक्षण एवं जागरूकता के लिए संगठन/केन्द्रों को अनुदान का विवरण

क्र.सं.	लामार्थी का नाम	राशि रुपये में							
		01-04-2021 को आदि शेष	2020-21 के पूर्व किया गया व्यय	2020-21 को व्यय	2021-22 को जारी	2021-22 के दौरान उपलब्ध कुल निधि	वापसी	2021-22 के दौरान व्यय	31-03-2022 को अंतिम शेष
49	कृषि निदेशालय, अरुणाचल प्रदेश 136/15	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
50	भा.कृ.अ.प. का अनुसंधान परिसर, एनईएच क्षेत्र, उमियम, मेघालय	8,00,000	-	-	-	8,00,000	-	-	8,00,000
51	भा.कृ.अ.प. का अनुसंधान परिसर, बड़ापानी	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
52	आईआईवीआर, वाराणसी	11,40,000	-	-	-	11,40,000	-	-	11,40,000
53	एनबीपीजीआर, नई दिल्ली - 136/15	8,00,032	-	-	-	8,00,032	-	-	8,00,032
54	सीपीसीआरआई, कैसरगोड - 136/15	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
55	कृषि निदेशालय, गोवा - 136/15	12,689	-	-	-	12,689	-	-	12,689
56	आईसीएआर, आरसी, एनईएच क्षेत्र, उमियम, मेघालय	63,383	-	-	-	63,383	-	-	63,383
57	आईआईएबी, रांची - 136/15	878	-	-	-	878	-	-	878
58	आईआईएसआर, कालीकट - 136/15	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
59	राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केन्द्र, मेडजीफेमा	1,60,000	-	-	-	1,60,000	-	-	1,60,000
60	आईएआरआई, नई दिल्ली	1,50,039	-	-	-	1,50,039	-	-	1,50,039
61	मूंगफली अनुसंधान निदेशालय, जूनागढ़, गुजरात	5,985	-	-	-	5,985	-	-	5,985
62	औषधीय एवं सगंधीय पौधा अनुसंधान निदेशालय, आनंद, गुजरात	52,069	-	-	-	52,069	-	-	52,069
63	एफआरआई, देहरादून 136/15	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
64	गोबिंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, देहरादून	4,33,343	-	-	-	4,33,343	-	-	4,33,343
65	आईसीएआर अनुसंधान, पटना 136/15	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
66	आईजीएफआरआई, झांसी 136/15	1,60,000	-	-	-	1,60,000	-	-	1,60,000
67	आईआईएचआर बंगलुरु - प्रशिक्षण	1,60,000	-	-	-	80,000	80,000	-	80,000
68	आईआईएचआर बंगलुरु - सब्जी फसल प्रभाग	1,56,532	-	-	-	1,56,532	-	-	1,56,532
69	आईआईएसआर, कालीकट - 136/15	95,373	-	-	-	95,373	-	-	95,373
70	आईआईवीआर, वाराणसी	2,246	-	-	-	2,246	-	-	2,246
71	जेएयू, जूनागढ़ 136/15	4,10,830	-	-	-	4,10,830	-	-	4,10,830
72	भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर, एनईएच क्षेत्र, त्रिपुरा	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
73	केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिचुर - केएयू, वेल्लानिकारा, पालघाट	1,05,900	-	-	-	1,05,900	-	-	1,05,900
74	मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय - एमएयू	60,000	-	-	-	60,000	-	-	60,000
75	एमपीकेवी, राहुरी	82,471	-	-	-	82,471	-	-	82,471

प्रशिक्षण एवं जागरूकता के लिए संगठन/केन्द्रों को अनुदान का विवरण

क.सं.	लाभार्थी का नाम	राशि रुपये में							
		01-04-2021 को आदि शेष	2020-21 के पूर्व किया गया व्यय	2020-21 को व्यय	2021-22 को जारी	2021-22 के दौरान उपलब्ध कुल निधि	वापसी	2021-22 के दौरान व्यय	31-03-2022 को अंतिम शेष
76	नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद, 136/15	6,02,895	-	-	-	6,02,895	-	-	6,02,895
77	राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केन्द्र, सिविकम	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
78	ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर 136/15- ओयूएटी	1,15,942	-	-	-	1,15,942	-	-	1,15,942
79	पीएयू, लुधियाना	16	-	-	-	16	-	-	16
80	पीडीकेवी, अकोला	4,36,000	-	-	-	4,36,000	-	-	4,36,000
81	खाद्य सुरक्षा एवं कृषि विकास विभाग निदेशालय, तादोंग	1,60,000	-	-	-	1,60,000	-	-	1,60,000
82	केवीके, शारदानगर बरामती 136/15	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
83	केवीके, जालना, 136/15	1,054	-	-	-	1,054	-	-	1,054
84	केवीके, धलाई - 136/15	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
85	केवीके, इरोड, टीएन 136/15	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
86	केवीके, कुरनूल 136/15	79,576	-	-	-	79,576	-	-	79,576
87	केवीके, विवेकनंदपुरम 136/15	1,422	-	-	-	1,422	-	-	1,422
88	पुष्पविज्ञान निदेशालय, आईएआरआई, नई दिल्ली 136/15	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
89	भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	78,359	-	-	-	78,359	-	-	78,359
90	भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद	5,27,000	-	-	-	5,27,000	-	-	5,27,000
91	आवीएसकेवीवी, ग्वालियर, 136/15	76,271	-	-	-	76,271	-	-	76,271
92	आरएयू, पूसा, समस्तीपुर, बिहार	4,15,340	-	-	-	4,15,340	-	-	4,15,340
93	सचिव, विकास भारती, गुमला, झारखण्ड 136/15	182	-	-	-	182	-	-	182
94	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बतूर-टीएनएयू पेच्चीपरै, कन्याकुमारी, धर्माउरी	2,41,562	-	-	-	2,41,562	-	-	2,41,562
95	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद - टीएनएयू	1,606	-	-	-	1,606	-	-	1,606
96	यूए ओर एचएस, शिमोगा, कर्नाटक 136/15	10,15,623	-	-	-	10,15,623	-	-	10,15,623
97	यूएएस, बागलकोट 136/15	13,431	-	-	-	13,431	-	-	13,431
98	यूएएस, जीवीकेवी, बंगलुरु	1,59,706	-	-	-	1,59,706	-	-	1,59,706
99	यूबीकेवी, कृच बिहार, पश्चिम बंगाल 136/15	4,80,000	-	-	-	4,80,000	-	-	4,80,000
100	यूएएस, धारवाड़ - सैदपुर फार्म, बीजापुर	4,82,846	-	-	-	4,82,846	-	-	4,82,846
101	यूएच और एफ पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड 136/15	1,17,112	-	-	-	1,17,112	-	-	1,17,112

प्रशिक्षण एवं जागरूकता के लिए संगठन/केन्द्रों को अनुदान का विवरण

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	राशि रुपये में							
		01-04-2021 को आदि शेष	2020-21 के पूर्व किया गया व्यय	2020-21 को व्यय	2021-22 को जारी	2021-22 के दौरान उपलब्ध कुल निधि	वापसी	2021-22 के दौरान व्यय	31-03-2022 को अंतिम शेष
102	डबलयूबीयूए और एफएस, कोलकाता 136/15	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
103	वाईएसपीयूएच और एफ, सोलन, चम्बा	4,93,838	-	-	-	4,93,838	-	-	4,93,838
104	वाईएसआर, बागवानी विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश, 136/15	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
105	आंचलिक परियोजना निदेशालय - अंचल-11, बंगलुरु	1,490	-	-	-	1,490	-	-	1,490
106	आंचलिक परियोजना निदेशालय, भा.कृ.अ.प. अंचल-1, लुधियाना, पंजाब	3,90,588	-	-	-	3,90,588	-	-	3,90,588
107	आंचलिक परियोजना निदेशालय - भा.कृ.अ.प., अंचल-5, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	5,80,000	5,00,000	-	-	80,000	-	-	80,000
108	आंचलिक परियोजना निदेशालय - भा.कृ.अ.प., अंचल-3, कानपुर, उत्तर प्रदेश	23,414	-	-	-	23,414	-	-	23,414
109	आंचलिक परियोजना निदेशालय - भा.कृ.अ.प., अंचल-2, जोधपुर	7,14,131	-	-	-	7,14,131	-	-	7,14,131
110	आंचलिक परियोजना निदेशालय - भा.कृ.अ.प. अंचल-9, जबलपुर	5,83,502	-	-	-	5,83,502	-	-	5,83,502
111	निदेशालय-कृषि, अरुणाचल प्रदेश सरकार, कामेंग, लोअर सुबासिरी, गेकू - कोरक, अपर सुबासिरी	4,80,000	-	-	-	4,80,000	-	-	4,80,000
112	केवीके, पापुमपेरे	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
113	एनआरसी - सूअर, रानी, गुवाहाटी - केवीके, गोलपाड़ा	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
114	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा निदेशालय, नागालैंड सरकार, कोहिमा, त्यूसांग	5,60,000	-	-	-	5,60,000	-	-	5,60,000
115	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा निदेशालय, मेघालय सरकार, शिलोंग	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
116	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा निदेशालय, सिक्किम सरकार, ग्याबा	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
117	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा निदेशालय, त्रिपुरा सरकार	1,60,000	-	-	-	1,60,000	-	-	1,60,000
118	आईवीआरआई, इज्जतनगर, बरेली	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
119	सीटीआरआई, आंध्र प्रदेश	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
120	सर अरविंदो ग्रामीण विकास संस्थान, गद्दीपल्ली, नलगोडा, एसएआईआरडी	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
121	प्रवर प्राकृतिक एवं समाज विज्ञान में अनुसंधान एवं शिक्षा संस्थान, अहमदनगर- पीआईआरआईएनएसएस	142	-	-	-	142	-	-	142
122	दीनदयाल अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली - बीद	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
123	सतपुड़ा एजुकेशन सोसायटी, जलगांव, जमोद, बुल्डाना	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000

प्रशिक्षण एवं जागरूकता के लिए संगठन/केन्द्रों को अनुदान का विवरण

क्र.सं.	लामार्थी का नाम	राशि रुपये में							
		01-04-2021 को आदि शेष	2020-21 के पूर्व किया गया व्यय	2020-21 को व्यय	2021-22 को जारी	2021-22 के दौरान उपलब्ध कुल निधि	वापसी	2021-22 के दौरान व्यय	31-03-2022 को अंतिम शेष
124	संत नामदेव सेवा भावी संस्था, हिंगोली	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
125	कृषि विज्ञान केन्द्र, लातूर - केवीकेएल	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
126	डॉ. हेडगवार सेवा समिति, नंदरबार	1,60,000	-	-	-	1,60,000	-	-	1,60,000
127	शबरी कृषि प्रतिष्ठान, शोलापुर	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
128	नियंत्रक, एनएयू, गुजरात - केवीके, नवसारी, नर्मदा	3,04,474	-	-	-	3,04,474	-	-	3,04,474
129	सोसायटी टू अपलिफ्ट रूरल इकोनॉमी- स्योर, बाडमेर	21,447	-	-	-	21,447	-	-	21,447
130	लोक भारती ग्राम विद्यापीठ, सनोसारा, भावनगर	32,220	-	-	-	32,220	-	-	32,220
131	अम्बूजा सीमेंट फाउंडेशन, कोडिनार	32,950	-	-	-	32,950	-	-	32,950
132	ग्रामीण विकास एवं पर्यावरण केन्द्र, भोपाल - सिहोर	500	-	-	-	500	-	-	500
133	अध्यक्ष, केएच पाटिल कृषि विज्ञान फाउंडेशन, गदग, हुल्कोटी	38	-	-	-	38	-	-	38
134	अध्यक्ष, कृषिचयन एजेंसी फॉर रूरल पेटेनामित्र डेवलपमेंट, तिरुवला - कोल्लम्मागोम, सीएएफआरपीडी	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
135	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद 136/15 - एएमबीएचईटीआई	3,475	-	-	-	3,475	-	-	3,475
136	महाठवाड़ा क्षेति सहाय मंडल, औरंगाबाद, जालना	1,58,946	-	-	-	1,58,946	-	-	1,58,946
137	सचिव, श्री अविनाशीलिंगम उच्च शिक्षा एवं गृह विज्ञान संस्थान, कोयम्बतूर, विवेकानंदपुरम, एसएआईएचईएचसी	78,578	-	-	-	78,578	-	-	78,578
138	कृषि निदेशालय, भारत सरकार, पणजी, दक्षिण गोवा	43,270	-	-	-	43,270	-	-	43,270
139	कृषि निदेशालय, पुदुचेरी	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
140	महासचिव, यूपीएसआई, कून्नूर, नीलगिरी	3,452	-	-	-	3,452	-	-	3,452
141	केएसआर तकनीकी महाविद्यालय, तिरुवेंगोडे, तमिल नाडु	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
142	एमटी विश्वविद्यालय, नोएडा	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
143	यूएस, बंगलुरु	4,30,000	-	-	-	4,30,000	-	-	4,30,000
144	निदेशक, बायोवेद कृषि एवं तकनीकी अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
145	अध्यक्ष, नवभारत शिक्षा एवं सामाजिक अनुसंधान संस्था	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
146	एनबीआरआई, लखनऊ	63,795	-	-	-	63,795	-	-	63,795
147	भगवत भक्ति आश्रम	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
148	एसके चौधरी एजुकेशनल ट्रस्ट, नया मधुबनी	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
149	भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान, रांची	18,194	-	-	-	18,194	-	-	18,194

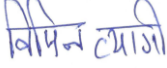
प्रशिक्षण एवं जागरूकता के लिए संगठन/केन्द्रों को अनुदान का विवरण

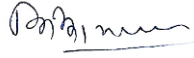
राशि रुपये में

क्र.सं.	लामार्थी का नाम	01-04-2021 को आदि शेष	2020-21 के पूर्व किया गया व्यय	2020-21 को व्यय	2021-22 को जारी	2021-22 के दौरान उपलब्ध कुल निधि	वापसी	2021-22 के दौरान व्यय	31-03-2022 को अंतिम शेष
150	उप आयुक्त एवं अध्यक्ष, सुजानी	1,240	-	-	-	1,240	-	-	1,240
151	श्री रामकृष्ण सेवा केन्द्र, कोलकाता, पश्चिम त्रिपुरा	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
152	इलाहाबाद कृषि मानद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
153	केआरबीएस शिक्षा सोसायटी, लखनऊ	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
154	श्री हनुमंतराय शिक्षा एवं धर्मार्थ सोसायटी, केवीके, कुरनूर	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
155	डॉ. युशू, वेंकटरामनगुडे	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
156	नियंत्रक, टी एस कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
157	पी वी नरसिंहराव टीएस वेट विश्वविद्यालय, हैदराबाद	80,000	80,000	-	-	-	-	-	-
158	गोखले एजुकेशन सोसायटी, प्राचार्य, टी ए कुलकर्णी, विद्यानगर, नासिक	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
159	अध्यक्ष, सुविदे फाउंडेशन, वाशिम	50	-	-	-	50	-	-	50
160	एसके एनएयू, जोबनेर	1,71,560	-	-	-	1,71,560	-	-	1,71,560
161	कृषि विश्वविद्यालय, मंदौर, जोधपुर	1,60,000	-	-	-	1,60,000	-	-	1,60,000
162	नियंत्रक, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा	88,303	-	-	-	88,303	-	-	88,303
163	सचिव, आईएसवीएस, वाराणसी	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
164	कृषि विज्ञान केन्द्र, नागालैंड विश्वविद्यालय, लुमाही	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
165	वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, भा.कृ.अ.प.-केवीके, पाठनमित्र	79,858	-	-	-	79,858	-	-	79,858
166	सचिव, इंडियन सोसायटी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
167	इंडियन सोसायटी ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
168	7वीं भारतीय बागवानी कांग्रेस 2016	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
169	सचिव, इंडियन एगोसिएशन ऑफ हिल फार्मिंग	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
170	सोसायटी फॉर कम्युनिटी मोबिलाइजेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
171	आईएसपीआरडी-पीयूएलएसवाईएम, कानपुर	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
172	आईएसडब्ल्यूसी, देहरादून	3,20,000	-	-	-	3,20,000	-	-	3,20,000
173	पीजेटीएसएयू हैदराबाद	48,224	-	-	-	48,224	-	-	48,224
174	शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	2,00,000	-	-	-	2,00,000	-	-	2,00,000

प्रशिक्षण एवं जागरूकता के लिए संगठन/केन्द्रों को अनुदान का विवरण

राशि रुपये में									
क.सं.	लाभार्थी का नाम	01-04-2021 को आदि शेष	2020-21 के पूर्व किया गया व्यय	2020-21 को व्यय	2021-22 को जारी	2021-22 के दौरान उपलब्ध कुल निधि	वापसी	2021-22 के दौरान व्यय	31-03-2022 को अंतिम शेष
175	आंचलिक परियोजना, निदेशक, भा.कृ.अ.प., अंचल-4, पटना, बिहार	4,22,068	-	-	-	4,22,068	-	-	4,22,068
176	इंडियन सोसायटी ऑफ सीड टैक्नोलॉजी, इम्फाल चैप्टर	1,60,000	-	-	-	1,60,000	-	-	1,60,000
177	उत्तर प्रदेश अनुसंधान एसोसिएशन, इलाहाबाद	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
178	आईएआरआई, क्षेत्रीय केन्द्र, इंदौर	80,000	-	-	-	80,000	-	-	80,000
कुल		3,04,58,018	5,80,000	-	80,000	2,98,78,018	80,000	-	2,98,78,018


विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार


दिनेश कुमार अग्रवाल,
महापंजीकार

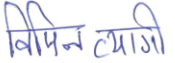

के.वि. प्रभु
अध्यक्ष

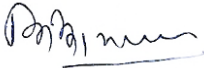
अनुबंध छ

बाह्य विभाग को अग्रिम

राशि रुपये में

क.सं.	लाभार्थी का नाम	01-04-2021 को आरंभिक शेष	पूर्वावधि समायोजन	वर्ष 2021-22 के दौरान जारी	2021-22 के दौरान व्यय	31-03-2022 को अंत शेष
1	फ्रैंकिंग मशीन जीपीओ	-	-	2,00,000	2,00,000	-
2	सचिव, भा.कृ.अ.प., नई दिल्ली	-	-	1,06,600	1,06,600	-
3	आईआईएचआर, बंगलुरु बाहरी	29,500	29,500	-	-	-
4	निदेशक आईएआरआई, नई दिल्ली	-	-	20,000	20,000	-
5	एग्रे विजन	-	-	2,34,960	2,34,960	-
6	यूएचएस शिवमोगा	96,22,000	-	18,00,000	58,47,480	55,74,520
7	भारतीय खाद्य एवं कृषि परिषद	-	-	1,69,920	1,69,920	-
8	जैन बुक एजेंसी, दिल्ली	-	-	24,000	24,000	-
9	दी पेटेंट एंड ट्रेड मार्कस केसेस, दिल्ली	-	-	14,400	14,400	-
	कुल	96,51,500	29,500	25,69,880	66,17,360	55,74,520


विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार


दिनेश कुमार अग्रवाल,
महापंजीकार


के.वि. प्रभु
अध्यक्ष

अनुबंध-ज

अदा की गई सांविधिक देयताएं

राशि रुपये में

क्रमांक	विवरण	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	राशि
1	सीजीईजीआईएस	1,835	1,835	3,670	535	3,075	1,775	1,775	1,775	1,690	1,775	1,775	85	21,600
2	सीजीएचएस	1,000	1,000	2,000	-	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-	1,000	12,000
3	जीपीएफ - 108 / 2	98,762	98,762	1,97,524	75,040	1,25,040	1,00,040	1,00,040	1,05,040	1,05,040	1,05,040	1,05,040	-	12,15,368
4	टीडीएस - ठेकेदार	30,86,927	410	2,236	3,884	3,060	3,809	3,369	13,496	12,265	9,190	2,981	4,347	31,45,974
5	टीडीएस - व्यावसायिक	60,901	-	24,500	24,500	35,878	20,000	20,000	26,000	25,871	40,978	60,37,264	55,509	63,71,401
6	टीडीएस - वेतन	229000	2,29,000	2,31,795	2,29,000	3,16,000	3,14,000	2,64,500	2,64,500	2,64,500	3,07,000	3,07,000	3,47,701	33,03,996
7	एनपीएस	93,298	93,298	1,86,596	-	2,00,125	98,293	1,07,507	1,00,597	1,27,204	1,09,466	1,09,676	580	12,26,640
8	जीएसटी पर टीडीएस	42,02,759	410	2,236	77,314	42,144	37,352	2,460	48,356	48,244	8,016	60,39,832	80,174	1,05,89,297
9	नियोक्ता का एनपीएस में अंशदान	1,30,616	1,30,616	2,61,232	-	2,80,171	1,37,606	1,50,506	1,40,832	1,78,080	1,53,248	1,53,541	-	17,16,448
10	प्रतिलोम शुल्क जीएसटी	4,374	-	-	-	-	-	2,556	-	-	-	-	6,426	13,356
								-						
	कुल	79,09,472	5,55,331	9,11,789	4,10,273	10,07,493	7,13,875	6,53,713	7,01,596	7,63,894	7,35,713	1,27,57,109	4,95,822	2,76,16,080

विपिन त्यागी

विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार

दिनेश कुमार अग्रवाल

दिनेश कुमार अग्रवाल,
महापंजीकार

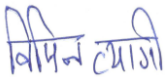
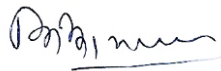
के.वि. प्रभु

के.वि. प्रभु
अध्यक्ष

अनुबंध-झ

अन्य भेजा हुआ धन

		राशि रुपये में
क.सं.	विवरण	राशि
1	लाइसेंस शुल्क	1,50,219
	कुल	1,50,219

विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकारदिनेश कुमार अग्रवाल,
महापंजीकारके.वि. प्रभु
अध्यक्ष

अनुबंध-अ

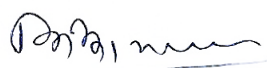
स्टाफ को अग्रिम

राशि रुपये में

क.सं.	लाभार्थी का नाम	01-04-2021 को आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	वर्ष के दौरान समायोजित व्यय	धन वापसी की प्राप्ति	31-03-2022 को अंतशेष
1	डीडीओ	-	2,54,149	2,54,149	-	-
2	डी एस राज गणेश	-	80,000	80,000	-	-
3	दीपल रॉय चौधरी	10,234	50,000	58,883	-	1,351
4	डॉ. टी के नागरत्ना	-	52,511	52,511	-	-
5	आर एस सेंगर	-	2,17,642	2,17,642	-	-
6	उमा कांत दुबे	-	1,36,737	1,36,737	-	-
7	नितेश कुमार वर्मा	950	-	-	950	-
8	फूल सिंह मालवीय	5,971	-	5,971	-	-
9	अरविंद कुमार राय	-	3,714	3,714	-	-
	कुल	17,155	7,91,039	8,05,893	950	1,351



विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार



दिनेश कुमार अग्रवाल,
महापंजीकार



के.वि. प्रभु
अध्यक्ष

अनुबंध-ट

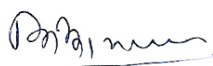
पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
वर्ष 2021-22 के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों से अनुदान की वापसी

राशि रुपये में

क.सं.	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	धन वापसी प्राप्ति
1	आईआईएचआर बंगलुरु - प्रशिक्षण	80,000
	कुल	80,000



विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार



दिनेश कुमार अग्रवाल,
महापंजीकार



के.वि. प्रभु
अध्यक्ष

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवी एंड एफआरए) के 31 मार्च 2022 वर्ष के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

हमने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) जिसे पीपीवी एंड एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 62(2) के साथ पढ़ा जाए के अंतर्गत 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवी एंड एफआरए) के संलग्न तुलन पत्र और इसी तिथि को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखा और प्राप्तियाँ तथा भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों में पीपीवी एंड एफआरए की पाँच ईकाई/शाखाओं अर्थात् रांची, गुवाहाटी, पालमपुर, शिवमोगा और पुणे के खाते शामिल हैं। इन वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व पीपीवी एंड एफआरए के प्रबंध का है। हमारा उत्तरदायित्व इन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के आधार पर अपनी राय प्रकट करना है।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में वर्गीकरण, उत्तम लेखांकन रीतियाँ, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण इत्यादि के मानदंडों से अनुरूपता के संबंध में केवल लेखांकन संव्यवहार के बारे में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ विनिर्दिष्ट हैं। विधि, नियमों एवं विनियमों (औचित्य एवं नियमनिष्ठता) के अनुपालन में वित्तीय लेन-देनों और दक्षता-सह-निष्पादन पहलुओं इत्यादि पर लेखा अवलोकन, यदि कोई हो, निरीक्षण प्रतिवेदन/ सीएजी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से अलग से दी जाती है।

3. हमने यह लेखापरीक्षा भारत में सामान्य: मान्य लेखांकन मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों में अपेक्षा है कि हम अपने लेखापरीक्षा की योजना इस प्रकार बनाएँ और इस प्रकार सम्पन्न करें कि हमें तार्किक आश्वासन मिल जाए कि वित्तीय विवरणियाँ वस्तुपरक अशुद्ध वर्णन से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणियों में राशि के समर्थन में साक्ष्यों और प्रकटनों का परीक्षण के आधार पर जांच करना शामिल होता है। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए प्रयुक्त सिद्धांतों और सार्थक अनुमानों के आकलन के साथ-साथ वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है। हमें इस बात पर विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा में हमारी राय के लिए उपयुक्त आधार है।

4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम सूचित करते हैं कि:

(i) हमने वे सभी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, रिपोर्ट में अवलोकन के अधीन, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थी।

(ii) इस प्रतिवेदन में विनिर्दिष्ट तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा और प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा बताए गए समान प्रारूप के अनुसार तैयार किए गए हैं।

(iii) हमारी राय में पीपीवी एंड एफआरए के द्वारा उपयुक्त लेखाबहियाँ और अन्य संबन्धित रिकार्ड रखे गए हैं जो पीपीवी एंड एफआर अधिनियम, 1962 की धारा 62(1) के अनुसार अपेक्षित हैं, जो ऐसी बहियों की हमारी जांच से देखने में आया है।

(iv) हम यह भी सूचित करते हैं कि:-

तुलन पत्र

क.1 कोष/पूँजी निधि और दायित्व –रुपए 105.38 करोड़

क.1.1. कोष/पूँजी निधि

अनुसूची 3-चिन्हित/स्थायी निधि के अनुसार, रुपए 105.92 करोड़ पूँजीगत व्यय के रूप में दिखाये गए हैं अर्थात् चालू कार्य- भवन निर्माण। लेकिन यह राशि कोष/ पूँजी निधि (अनुसूची 1) के अंतर्गत स्थायी संपत्ति के लिए प्रयुक्त कोष के रूप में नहीं दिखाई गयी है। साथ ही इस राशि को स्थायी संपत्ति अर्थात् अनुसूची 8 में चालू कार्य के रूप में नहीं दिखाया गया है। इस कारण से पूँजी निधि और स्थायी संपत्ति को रुपए 105.92 करोड़ की सीमा तक कम दिखाया गया है।

क.1.2 चालू दायित्व और प्रावधान

उपरोक्त में मार्च 2022 के वेतन के लिए रुपए 15.66 लाख का दायित्व शामिल नहीं है। इस कारण इस सीमा तक चालू दायित्व और प्रावधान के साथ साथ व्यय को कम और पूँजी निधि को अधिक दिखाया गया है।

ख. सामान्य

1. पीपीवीएफआरए के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लेखापरीक्षा शुल्क के भुगतान हेतु प्रावधान नहीं बनाया गया है।
2. सामान्य भविष्य निधि के संबंध में रुपए 50.51 लाख का निवेश वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एफ.11/14/2013-पीआर तिथि 02.03.15 में बताए गए तरीके के अनुसार नहीं किया गया है।
3. रुपए 3.39 करोड़ की राशि विभिन्न विशिष्टता एकरूपता स्थायित्व (डीयूएस) केन्द्रों, प्रशिक्षण केन्द्रों आदि को जारी की गयी थी, लेकिन उनके द्वारा वर्ष 2021-22 के दौरान किया गया व्यय शून्य है। अधिकतर केन्द्रों के द्वारा उनके द्वारा प्राप्त ब्याज को नहीं दिखाया गया है और साथ ही इसे खातों में भी नहीं दिखाया गया है।

ग. अनुदान

प्राधिकरण के द्वारा रुपए 59.99 करोड़ (सामान्य अनुदान- रुपए 20.00 करोड़ और पूँजीगत अनुदान - रुपए 39.99 करोड़) का अनुदान वर्ष के दौरान प्राप्त किया गया है और 1 अप्रैल 2021 को प्रारम्भिक शेष रुपए 47.79¹ करोड़ (सामान्य अनुदान -रुपए 1.84 करोड़ जमा पूँजीगत अनुदान - रुपए 40.95 करोड़

¹42.79 करोड़ + 05 करोड़ राष्ट्रीय वर्ष सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण से प्राप्त

जमा रुपए 5.00 करोड़ एनआरआरए के द्वारा 2020-21 में भुगतान) था। कुल रुपए 107.78 करोड़ की राशि में से वर्ष 2021-22 के लिए मन्त्रालय को जारी उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार प्राधिकरण ने रुपए 61.52 करोड़ की राशि का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त चालू वर्ष के अनुदान से रुपए 35.46 करोड़ का पूंजीगत व्यय उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड से प्राप्त पूंजीगत व्यय के आधार पर और रुपए 0.04 करोड़ (रुपए 3,45,368 + रुपए 9750) को अनुसूची 8 में दिखाया गया है। अतः कुल 107.78 करोड़ के अनुदान के विरुद्ध रुपए 97.02 करोड़ का कुल व्यय हुआ है शेष अप्रयुक्त अनुदान रुपए 10.76 करोड़ (रुपए 0.18 करोड़ आगम अनुदान उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार + रुपए 10.58 करोड़) है।

घ. प्रबंधन पत्र

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल न की गयी कमियाँ अध्यक्ष के ध्यान में अलग से प्रबंधन पत्र के माध्यम से उपचारात्मक/ सुधारात्मक कार्रवाई के लिए जारी कर दी गयी है।

v. पूर्ववर्ती पैराग्राफों में हमारे अवलोकनों के अध्यक्ष हम सूचित करते हैं कि इस प्रतिवेदन में तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा और प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा लेखाबहियों के अनुसार है।

vi. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना तथा हमें दिये गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, ऊपर कथित महत्वपूर्ण मामलों तथा इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों के अध्यक्षीन लेखांकन नीतियाँ और लेखा-टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरणियाँ भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्त के अनुरूप सही और निष्पक्ष स्वरूप दर्शाते हैं।

क. जहाँ तक 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के मामलों के तुलन पत्र से संबन्धित है ; और

ख. जहाँ तक उस तिथि को समाप्त वर्ष के अधिशेष आय एवं व्यय लेखा से संबन्धित है।

अस्वीकरण : प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य हो।

भारत के नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक के लिए और कि ओर से

स्थान : नयी दिल्ली

दिनांक: 14.10.2022

हस्ता°
(कीर्ति तिवारी)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन)

अनुबंध

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

प्राधिकरण का अलग से कोई आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग नहीं है और वर्ष 2021-22 की आंतरिक लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की फ़र्म के द्वारा की गयी है।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

आंतरिक नियंत्रण निम्न क्षेत्रों में कमजोर है और उसे मजबूत किए जाने की आवश्यकता है।

(i) आंतरिक लेखापरीक्षा मुख्य भुगतान और लेखा कार्यालय के द्वारा नहीं की गयी है। लेकिन इसे चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के द्वारा किया गया है।

(ii) 2021-22 के दौरान प्राधिकरण की कोई सभा नहीं हुई है।

(iii) प्राधिकरण के द्वारा विभिन्न संगठनों/संस्थानों अर्थात् डीयूएस केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र इत्यादि को दिये गए रुपए 16.22 करोड़ के अनुदान/अग्रिम के संबंध में 31 मार्च, 2022 को उपयोगिता प्रमाण पत्र अदत्त है।

3. स्थायी परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

वर्ष 2021-22 के लिए स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है और कोई अनियमितता सूचित नहीं की गयी है।

4. वस्तुओं के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

मार्च 2022 तक स्टेशनरी, पुस्तकों और उपभोग्य सामाग्री इत्यादि का भौतिक सत्यापन किया गया है और कोई महत्वपूर्ण अनियमितता सूचित नहीं की गयी है।

5. वैधानिक देयताओं के भुगतान में नियमिता

यथा 31.3.2022 की स्थिति के अनुसार छह माह से ऊपर का कोई भुगतान वैधानिक देयताओं के संबंध में शेष नहीं है।

वर्ष 2021-22 के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के संबंध में उत्तर

लेखापरीक्षा का अवलोकन	प्रबंधकीय उत्तर
तुलन पत्र क.1 कोष/पूंजी निधि और दायित्व -रुपए 105.38 करोड़ क.1.1. कोष/पूंजी निधि अनुसूची 3-चिह्नित/स्थायी निधि के अनुसार, रुपए 105.92 करोड़ पूंजीगत व्यय के रूप में दिखाये गए हैं अर्थात् चालू कार्य- भवन निर्माण। लेकिन यह राशि कोष/पूंजी निधि (अनुसूची 1) के अंतर्गत स्थायी संपत्ति के लिए प्रयुक्त कोष के रूप में नहीं दिखाई गयी है। साथ ही इस राशि को स्थायी संपत्ति अर्थात् अनुसूची 8 में चालू कार्य के रूप में नहीं दिखाया गया है। इस कारण से पूंजी निधि और स्थायी संपत्ति को रुपए 105.92 करोड़ की सीमा तक कम दिखाया गया है।	जैसा की सुझाया गया है, उचित सुधार चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान किया जाएगा।
क.1.2 चालू दायित्व और प्रावधान उपरोक्त में मार्च 2022 के वेतन के लिए रुपए 15.66 लाख का दायित्व शामिल नहीं है। इस कारण इस सीमा तक चालू दायित्व और प्रावधान के साथ साथ व्यय को कम और पूंजी निधि को अधिक दिखाया गया है।	लेखापरीक्षा अवलोकन अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है और इसे वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक खाते तैयार करते समय ध्यान रखा जाएगा।
ख० सामान्य	
1. पीपीवीएफआरए के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लेखापरीक्षा शुल्क के भुगतान हेतु प्रावधान नहीं बनाया गया है।	लेखापरीक्षा अवलोकन अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है और इसे वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक खाते तैयार करते समय ध्यान रखा जाएगा।

2. सामान्य भविष्य निधि के संबंध में रुपए 50.51 लाख का निवेश वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एफ.11/14/2013-पीआर तिथि 02.03.15 में बताए गए तरीके के अनुसार नहीं किया गया है।	यह देखते हुए की संबन्धित राशि काफी कम है और यह आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं होगा की कोषों को, अधिसूचना में बताए गए तरीके से जैसा की लेखापरीक्षक टीम के द्वारा बताया गया है जहाँ पर 45%-50% तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों में, 35%-45% को ऋण लिखित में, 5% को अल्पकालीन ऋण में, 5% से 15% तक इक्विटी में और 5% को न्यास प्रतिभूति आदि में लगाया जाए। इसके अतिरिक्त ऐसा करने के लिए एक कोष प्रबन्धक की आवश्यकता होगी जो कोषों का प्रबंध एक अच्छी प्रत्याय प्राप्त करने और कोषों की सुरक्षा हेतु कर सके। हालांकि इन प्रावधानों का पालन 2022-23 के दौरान करने का प्रयास किया जाएगा।
3. रुपए 3.39 करोड़ की राशि विभिन्न विशिष्टता एकरूपता स्थायित्व (डीयूएस) केन्द्रों, प्रशिक्षण केन्द्रों आदि को जारी की गयी थी, लेकिन उनके द्वारा वर्ष 2021-22 के दौरान किया गया व्यय शून्य है। अधिकतर केन्द्रों के द्वारा उनके द्वारा प्राप्त ब्याज को नहीं दिखाया गया है और साथ ही इसे खातों में भी नहीं दिखाया गया है।	लेखाबहियों में डीयूएस केन्द्रों को जारी राशि के विरुद्ध उचित प्रावधान किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष (2022-23) के दौरान, हमें केन्द्रों से, उन्हें 2021-22 में जारी अनुदान के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो गए हैं। आगामी वर्ष का अनुदान, केन्द्रों को विगत वर्ष का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही जारी किया जाता है। सभी केन्द्रों को संबन्धित विभाग के द्वारा उचित निर्देश इस संबंध में जारी किया जाएगा की प्राधिकरण से जारी कोषों पर उनके द्वारा ब्याज, यदि कोई हो, प्राप्त किया गया है तो उसे उपयोगिता प्रमाण पत्र में शामिल करे ताकि इसका लेखा प्राधिकरण के स्तर पर किया जा सके।

अनुबंध	
2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता आंतरिक नियंत्रण निम्न क्षेत्रों में कमजोर है और उसे मजबूत किए जाने की आवश्यकता है।	
(i) आंतरिक लेखापरीक्षा मुख्य भुगतान और लेखा कार्यालय के द्वारा नहीं की गयी है। लेकिन इसे चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के द्वारा किया गया है।	वर्ष 2021-22 के दौरान, मुख्य भुगतान और लेखा अधिकारी के द्वारा कोई लेखापरीक्षा टीम प्राधिकरण की आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए नियुक्त नहीं की गयी थी। इसलिए, उनके द्वारा कोई लेखापरीक्षा नहीं की गयी है।
(ii) 2021-22 के दौरान प्राधिकरण की कोई सभा नहीं हुई है।	महा-पंजीकार के 20 मई, 2022 को पदभार ग्रहण करने के पश्चात प्राधिकरण के सदस्यों की विगत सभा 29 जून 2022 को आयोजित की गयी थी, इसके पूर्व विगत सभा 25 सितंबर 2019 को आयोजित की गयी थी। वर्ष 2021-22 के दौरान प्राधिकरण के सदस्यों की कोई सभा आयोजित नहीं की जा सकी क्योंकि महा-पंजीकार का पद रिक्त था। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 3 (5) (सी) के अनुसार महा-पंजीकार प्राधिकरण के सदस्यों की सभा आयोजित करने के लिए पदेन सदस्य सचिव के रूप में होना चाहिये। क्योंकि महा-पंजीकार का पद एक वैधानिक पद है और इससे जुड़े उत्तरदायित्व और शक्तियाँ किसी अन्य अधिकारी को केवल प्राधिकरण की सभा आयोजित करने के लिए प्रत्यायोजित नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि प्राधिकरण की सभा की कार्यवाही न्यायिक स्तर की होती है। केवल महा-पंजीकार ही प्राधिकरण के द्वारा लिए गए

	निर्णयो को निष्पादित कर सकता है। महा-पंजीकार की अनुपस्थिति में यह भी संभव नहीं है। तदनुसार, प्राधिकरण की सभा इस तथ्य के कारण 2021-22 के दौरान आयोजित नहीं की जा सकी। इस तथ्य को 2020 की वार्षिक रिपोर्ट, जो संसद को भेजी गयी थी, में भी रिकॉर्ड किया गया है, यह बताते हुए की ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें एक सदस्य सचिव को महा-पंजीकार की अनुपस्थिति में चुना जा सके।
(iii) प्राधिकरण के द्वारा विभिन्न संगठनों/संस्थानों अर्थात् डीयूएस केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र इत्यादि को दिये गए रुपए 16.22 करोड़ के अनुदान/अग्रिम के संबंध में 31 मार्च, 2022 को उपयोगिता प्रमाण पत्र अदत्त है।	2021-22 के दौरान, डीयूएस परीक्षण, संदर्भ प्रयोगशाला, फील्ड जीन बैंक, प्रशिक्षण और जागरूकता आदि के उद्देश्य से संगठनों और संस्थानों को जारी किए गए अनुदानों के मामले में टेलीफोन पर चर्चा के साथ-साथ ई-मेल संदेश भेजकर अनुवर्ती कार्रवाई की गई है ताकि उपयोगिता प्रमाणपत्रों या अप्रयुक्त राशि को शीघ्रता से प्राप्त किया जा सके। केन्द्रों के पास उपलब्ध शेष राशि को समायोजित करने के बाद ही आगामी अनुदान की राशि जारी की जाती है। अधिकांश मामलों में वर्ष 2021-22 के वार्षिक खातों को अंतिम रूप देने के बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए गए हैं। हालांकि, केन्द्रों के पास उपलब्ध राशि के निपटारे के लिए संबंधित विभागों के द्वारा नियमित रूप से प्रयास किए जा रहे हैं।

दिनांक दिसम्बर, 01.12.2022 को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली की 34वीं बैठक में एजेंडा क्रम संख्या 7 में वार्षिक लेखा 2021-2022 को स्वीकार किया गया।



पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

(संसद के अधिनियम द्वारा निर्मित सांविधिक प्राधिकरण)

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. परिसर, डी.पी.एस. मार्ग, नई दिल्ली-110012

ईमेल : chairperson-ppvfra@nic.in; दूरभाष : 011-25848127, 25843316